[2019] 2 एस. सी. आर 61

पंजाब वक्फ बोर्ड

वी.

शाम सिंह हरिक

(2019 की सिविल अपील संख्या 92)

फरवरी 07,2019

[अशोक भूषण और के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

वक्फ अधिनियम, 1995: धारा 83-मुक़दमे पर विचार करने के लिए वक्फ़ ट्रिब्यूनल की अधिकारिता-आयोजितः वक्फ न्यायाधिकरण का गठन अधिनियम, 1995 के तहत वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के निर्धारण के लिए है। 83 दीवानी न्यायालय की अधिकारिता की रोक से संबंधित, प्रासंगिक शब्द हैं "कोई भी विवाद, प्रश्न या वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित अन्य मामला" जो इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है-इस प्रकार, दीवानी न्यायालय की अधिकारिता की रोक केवल उन मामलों तक सीमित है जो इस अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है-जब मुकदमे में मुद्दा यह है कि मुकदमा संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, तो यह एस. एस. के विशिष्ट प्रावधान द्वारा कवर किया जाता है। 6 और

7 अतः अधिनियम, 1995 की धाराओं के तहत न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है। 83 और एस के तहत बार। 85 दीवानी न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में अस्तित्व में आएगा।

वक्फ अधिनियम, 1995: धारा 6 (1), परंतुक-वक्फ संपत्ति की सूची

एस के तहत प्रकाशित। 5 - जिसे विवाद करने का अधिकार है और सीमा अवधि-आयोजितः एस के परंतुक में निहित प्रावधान। 6 (1) कि समाप्ति के बाद न्यायाधिकरण द्वारा ऐसा कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा

वक्फों की सूची के प्रकाशन की तारीख से एक साल हर उस व्यक्ति पर लागू होगा जो वक्फ में रुचि नहीं रखता है।

संबंधित, ऐसी संपत्ति में रुचि रखता है और जिसे धारा 4 के तहत प्रासंगिक जांच के दौरान उस ओर से उसे दिए गए नोटिस द्वारा अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर दिया गया था। 6 उप-धारा (1) में विवाद उठाने का प्रावधान है।

एक वर्ष की अवधि में वक्फ संपत्ति के संबंध में, यह उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जो सूची पर विवाद करना चाहते हैं, सिवाय उन लोगों के जो

एस के तहत नोटिस नहीं दिया गया। 4 (1) अधिनियम से।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. धारा 83 सिविल न्यायालय की अधिकारिता की बाधा से संबंधित है, प्रासंगिक शब्द हैं "कोई भी विवाद, प्रश्न या अन्य। वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित मामला जिसकी आवश्यकता होती है -

या इस अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार, सिविल न्यायालय की अधिकारिता की सीमा केवल उन मामलों तक ही सीमित है जिन्हें इस अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

[पैरा 52] [87-एफ] 2. धारा 6 की उप-धारा (1) के अनुसार, यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या वक्फ की सूची में कोई वक्फ संपत्ति वक्फ संपत्ति है।

या नहीं, इस प्रश्न के निर्णय के लिए एक न्यायाधिकरण में एक मुकदमा दायर किया जा सकता है कि किस निर्णय को अंतिम माना जाएगा। इस तरह के मुकदमे की सीमा भी परंतुक में तारीख से एक साल के रूप में प्रदान की गई थी।

वक्फों की सूची का प्रकाशन। धारा 6 की उप-धारा (5) में किसी भी न्यायालय में मुकदमे को प्रतिबंधित करने का प्रावधान था।

4. धारा 6 (1) के परंतुक में निहित प्रावधान कि समाप्ति के बाद न्यायाधिकरण द्वारा ऐसा कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। वक्फों की सूची के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष

यह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर लागू होगा जो यद्यपि संबंधित वक्फ में रुचि नहीं रखता है, लेकिन ऐसी संपत्ति में रुचि रखता है और जिसे धारा 4 के तहत प्रासंगिक जांच के दौरान उस ओर से नोटिस जारी करके अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर दिया गया था। जब धारा 6 की उप-धारा (1) एक वर्ष की अवधि में वक्फ संपत्ति के संबंध में विवाद उठाने का प्रावधान करती है, तो यह उन सभी व्यक्तियों पर लागू होती है जो सूची पर विवाद करना चाहते हैं, सिवाय उन लोगों के जिन्हें इसके तहत नोटिस नहीं दिया गया है।

धारा 4 (1)। [पारस 68,69] [95-जी-एच, 96-ए-बी] पंजाब वक्फ बोर्ड बनाम।

शाम सिंह हरिक

रमेश गोबिंदराम (मृत) एल. आर. के माध्यम से। वी. सुग्रा

हुमायूं मिर्जा वक्फ (2010) 8 एस. सी. सी. 726: [2010] 10

एस. सी. आर. 945; हरियाणा वक्फ बोर्ड बनाम। महेश कुमार (2014) 16 एससीसी 45: [2013] 12 एस. सी. आर. 596; पंजाब वक्फ

बोर्ड वी। ग्राम पंचायत (2000) (2) एससीसी 121: [1999]

5 पूरक। एस. सी. आर. 127-निर्भर

बेगम और एक अन्य (2010) 14 एस. सी. सी. 588: [2010] 13 एससीआर 1063; भंवर लाल और एक अन्य वी। राजस्थान

मुस्लिम वक्फ बोर्ड और अन्य (2014) 16 एस. सी. सी. 51:

[2013] 9 एस. सी. आर. 721; सरदार खान और अन्य बनाम सैयद

नजमुल हसन (सेठ) और अन्य (2007) 10 एस. सी. सी. 727:

[2007] 3 एससीआर 436; फसीला एम. वी. मुन्नरुल इस्लाम

मदरसा समिति और एक अन्य (2014) 16 एससीसी 38:

[2014] 4 एस. सी. आर. 613; अक्कोड जुमायत पल्ली परिपालन

समिति v. पी. वी. इब्राहिम हाजी और अन्य (2014) 16

एससीसी 65: [2013] 7 एस. सी. आर. 1033; मुस्लिम वक्फ बोर्ड,

राजस्थान बनाम. राधा किशन और अन्य, (1979) 2 एससीसी 468 : [1979] 2 एस. सी. आर. 148-संदर्भित

मामला कानून संदर्भ

010] 10 एससीआर 945

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

010] 13 एससीआर 1063

संदर्भित किया गया है

पैरा 11

013] 9 एससीआर 721

पैरा 32

संदर्भित किया गया है

007] 3 एससीआर 436

संदर्भित किया गया है

पैरा 32

014] 4 एससीआर 613

पैरा 33

संदर्भित किया गया है

013] 7 एससीआर 1033

पैरा 40

संदर्भित

को

979] 2 एससीआर 148

संदर्भित किया गया है

पैरा 56

999] 5 पूरक। एससीआर 127

उस पर भरोसा करें

पैरा 61

013] 12 एससीआर 596

उस पर भरोसा करें

पैरा 65

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 9

19 .

उच्च न्यायालय के 20.09.2010 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सिविल संशोधन संख्या 433 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा

09 (ओ एंड एम)

के साथ

2019 की सिविल अपील संख्या 93।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सलमान खुर्शीद, वरिष्ठ अधिवक्ता। , इम्तियाज अहमद, सुश्री नगमा इम्तियाज, अहमद जरघम, एम/एस। इक्विटी लेक्स एसोसिएट्स, एड. अपीलार्थी के लिए।

एस. बी. उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता। , विनीत भगत, के. जी. भगत, पवन उपाध्याय, सुरेंद्र कुमार, अधिवक्ता। श्री निशांत कुमार, अधिवक्ता। सुश्री शर्मिला उपाध्याय, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे. ये दोनों अपीलें दायर की गई हैं

प्रतिवादियों द्वारा दायर दीवानी संशोधनों की अनुमति देने वाले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दो अलग-अलग फैसलों के खिलाफ एक साथ सुनवाई की गई है और इस सामान्य फैसले द्वारा निर्णय लिया जा रहा है। 2. उपरोक्त अपीलों को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य जिन पर इन अपीलों पर निर्णय लेने के लिए ध्यान देना आवश्यक है, वे हैं:

2019 की सिविल अपील (आई. डी. 1) (पंजाब वक्फ बोर्ड बनाम शाम)

अपीलकर्ता, पंजाब वक्फ बोर्ड ने 269 कनाल 7 मरला की भूमि का मालिक होने का दावा किया, जिसमें खेवात No.462, खतौनी शामिल है। खसरा संख्या में Nos.589,593,599 और 596। 103 , 105 , 102 ग्राम बिरमी, तहसील और जिला लुधियाना का न्यूनतम, 104,106। अपीलार्थी ने छोड़ दिया था

ऊपर उल्लिखित भूमि शाम सिंह और उनकी पत्नी कुलदिप कौर को भूमि की खेती के लिए दी गई थी। पट्टेदार ने कुछ वर्षों के लिए किराया जमा किया और इसके बाद बोर्ड के हित के खिलाफ मुकदमा शुरू किया गया जिसका निर्णय बोर्ड के पक्ष में किया गया। अपीलार्थी ने स्थायी अनुदान के लिए सिविल जज, सीनियर डिवीजन के न्यायालय में 2001 का सिविल सूट No.250 दायर किया।

उत्तरदाताओं को किसी भी निर्माण को बढ़ाने और किसी भी तरह से संपत्ति की स्थिति को कृषि से आवासीय में बदलने से रोकने वाला निषेधाज्ञा। प्रत्यर्थियों ने मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देते हुए लिखित बयान दायर किया। लिखित बयान में अपीलार्थी के नाम का खंडन किया गया था। वक्फ ट्रिब्यूनल के गठन के बाद, मुकदमे को वक्फ ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित कर दिया गया और इसे आरबीटी No.84/2006 के रूप में पुनर्नामित किया गया। प्रत्यर्थी ने इस आधार पर शिकायत को अस्वीकार करने के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर किया कि न्यायाधिकरण के पास मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और अकेले दीवानी न्यायालय के पास मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। वक्फ ट्रिब्यूनल ने अपने दिनांकित 17.04.2009 आदेश द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया

और अभिनिर्धारित किया कि 01.01.1996 के बाद केवल वक्फ न्यायाधिकरण के पास वर्तमान वाद का परीक्षण करने का अधिकार क्षेत्र है। 3. दिनांकित 17.04.2009 आदेश से व्यथित प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में सिविल संशोधन दायर किया। उच्च न्यायालय ने एल. आर. के माध्यम से रमेश गोबिंदराम (मृत) के फैसले पर भरोसा किया।

बनाम सुग्रा हुमायूं पंजाब वक्फ बोर्ड बनाम। शाम सिंह हरिक [अशोक भूषण, जे।]

मिर्जा वक्फ, (2010) 8 एस. सी. सी. 726 ने संशोधन की अनुमति दी। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि अपीलकर्ता एक गैर-मुस्लिम है, इसलिए वक्फ न्यायाधिकरण के पास इस मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और यह केवल दीवानी न्यायालय है जिसके पास था -

वर्तमान विवाद में अधिकारिता। उक्त निर्णय दिनांक 20.09.2010 से व्यथित अपीलार्थी इस अपील में सामने आया है।

2019 की सिविल अपील No.93 (पंजाब वक्फ बोर्ड बनाम तेजा)

सिंह)

4. पंजाब वक्फ बोर्ड, अपीलकर्ता जो 29 कनाल 9 मरला की संपत्ति का मालिक होने का दावा करता है, जिसमें खेवट, खतौनी, खसरा, 56,57 शामिल हैं, ने उपर्युक्त संपत्ति पर कब्जा करने और प्रतिवादी को संपत्ति की प्रकृति में हस्तक्षेप करने और उसे बदलने से रोकने वाले स्थायी निषेधाज्ञा के लिए राहत की मांग करते हुए वक्फ ट्रिब्यूनल, लुधियाना की अदालत में 2007 का मुकदमा संख्या 2 दायर किया। मुकदमे में वादी का मामला यह था कि प्रतिवादी, ताजा सिंह ने वक्फ बोर्ड से वर्ष 1996-97 तक वार्षिक पट्टे पर मुकदमा संपत्ति ली और उसे पट्टे की राशि का भुगतान किया। वादी बोर्ड। 1996-97 पट्टे का नवीनीकरण नहीं होने और प्रतिवादी द्वारा कुछ अवैधताएं करने के बाद, वक्फ बोर्ड ने 05.12.1998 पर पट्टे को रद्द कर दिया। इस आशय की सूचना प्रतिवादी को दी गई थी जिसके माध्यम से प्रतिवादी से पट्टे पर दी गई संपत्ति के खाली कब्जे को वादी बोर्ड को सौंपने का अनुरोध किया गया था। पट्टा रद्द होने के बाद, मुकदमे की संपत्ति पर प्रतिवादी का कब्जा अवैध हो गया।

5. प्रतिवादी ने निषेधाज्ञा देने के लिए भी मुकदमा दायर किया था जो

सिविल जज (जूनियर डिवीजन), लुधियाना द्वारा आदेश दिया गया था कि अदालत ने बोर्ड को कानून के उचित पाठ्यक्रम को छोड़कर प्रतिवादी को जबरन और अवैध रूप से बेदखल करने से रोक दिया। अभियुक्त असफल रहा है

कब्जा सौंपते हुए, अपीलार्थी ने कब्जा करने और स्थायी निषेधाज्ञा देने के लिए मुकदमा दायर किया। प्रतिवादी ने उपस्थिति दर्ज की और लिखित बयान दायर किया। लिखित बयान में प्रतिवादी का मामला यह था कि प्रतिवादी हमेशा वादी को देय किराए का भुगतान करने के लिए तैयार रहता है और फिर भी अदालत में भी वादी को देय किराए का भुगतान करने और उसे देने के लिए तैयार रहता है, लेकिन वादी जानबूझकर किराएदार परिसर पर अवैध तरीके से कब्जा करने के लिए इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। प्रतिवादी ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ स्थायी के लिए मुकदमा दायर किया था

निषेधाज्ञा जो सिविल जज (जूनियर डिवीजन) द्वारा घोषित की गई है, जिसके खिलाफ अपील भी खारिज कर दी गई है।

6. वक्फ ट्रिब्यूनल ने अपने दिनांकित 03.06.2009 के फैसले के माध्यम से मूल मुकदमे का फैसला सुनाया। न्यायाधिकरण द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया हैः

9] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 17. उपरोक्त मुद्दों पर निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, वादी का मुकदमा वाद भूमि के कब्जे के लिए निर्धारित किया जाता है और यह स्थायी निषेधाज्ञा के लिए भी निर्धारित किया जाता है जो प्रतिवादी को वाद की लागत के साथ वाद भूमि की प्रकृति को बदलने से रोकता है। डिक्री शीट खींची जानी चाहिए। फाइल को अभिलेख में भेजा जाना चाहिए

कमरा "।

7. मुक़दमा चलाने वाले वक्फ़ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ, प्रतिवादी ने 2009 का सिविल संशोधन No.6157 दायर किया, जो उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश द्वारा अनुमति दी गईः

" रमेश गोबिंदराम (मृत) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एल. आर. बनाम आर. के माध्यम से दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए। सुग्रा हुमायूं मिर्जा वक्फ, 2010 (2) आर. सी. आर. (किराया) 266, तत्काल याचिका स्वीकार कर ली जाती है, विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और दस्तावेजों के साथ वादी को उपयुक्त अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वापस कर दिया जाता है।

8. उच्च न्यायालय के दिनांकित 23.02.2011 के फैसले से व्यथित अपीलार्थी इस अपील में आया है। 9. हमने अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सलमान खुर्शीद को सुना है। श्री विनीत भगत और श्री के. जी. भगत, विद्वान

अधिवक्ता और श्री एस. बी. उपाध्याय, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तरदाताओं की ओर से पेश हुए।

10. अपीलार्थी के वरिष्ठ वकील श्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि वक्फ न्यायाधिकरण मुकदमों पर विचार करने के लिए पूरी तरह से सक्षम था

अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया। दोनों मुकदमों में प्रतिवादियों को भूमि पट्टे पर दी गई थी जो वक्फ संपत्ति थी, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 83 के अनुसार वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष मुकदमा स्पष्ट रूप से रखा गया था। 11. वे प्रस्तुत करते हैं कि वक्फ न्यायाधिकरण को वक्फ अधिनियम, 1954 में वक्फ से संबंधित प्रत्येक विवाद पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया था।

1984 के संशोधन के बाद, अधिनियम, 1954 की धारा 55 के तहत वक्फ संपत्ति के मुकदमे से संबंधित किसी भी विवाद के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया जाना है और

सिविल न्यायालय की अधिकारिता को अधिनियम, 1954 की धारा 55 डिग्री सेल्सियस के आधार पर वर्जित किया गया था, जिसे अधिनियम, 1995 की धारा 83 और 85 के तहत जारी रखा गया है। वह रमेश के उस फैसले को प्रस्तुत करता है

गोबिंदराम (उपर्युक्त), जिस पर उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थियों द्वारा दायर संशोधनों को अनुमति देते हुए भरोसा किया है, अधिनियम, 1954 के तहत एक मामला था, वह भी 1984 के संशोधन से पहले। हालाँकि, वह प्रस्तुत करता है कि अपीलार्थी द्वारा दायर मुकदमे कब्जे के लिए मुकदमे थे, इसलिए, पूरी तरह

से थे वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष रखरखाव योग्य। श्री सलमान खुर्शीद पंजाब वक्फ बोर्ड बनाम पर निर्भर हैं।

शाम सिंह हरिक [अशोक भूषण, जे।]

वक्फ बोर्ड, पश्चिम बंगाल और एक अन्य बनाम अनीस फातमा बेगम और एक अन्य, (2010) 14 एस. सी. सी. 588 में इस न्यायालय का निर्णय, जिसमें न्यायाधिकरण के समक्ष दायर मुकदमे को विचारणीय माना गया था और रमेश गोबिंदराम के फैसले को अलग किया गया था।

12. श्री खुर्शीद ने आगे 2013 (पंजाब वक्फ) के सी. ए. <आई. डी. 2 में इस अदालत के दिनांकित 13.09.2013 के फैसले और आदेश पर भरोसा किया है।

बोर्ड बनाम प्रितपाल सिंह और अन्र) जहाँ उच्च न्यायालय द्वारा पारित ऐसा ही आदेश जिसमें पंजाब वक्फ बोर्ड का मुकदमा विचारणीय नहीं है।

अलग कर दिया गया है। वे प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामला प्रितपाल सिंह में इस अदालत के फैसले के समान है। श्री खुर्शीद ने अन्य निर्णयों पर भरोसा किया है जिनका उल्लेख बाद में किया जाएगा। 13. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील, शाम सिंह हरिके, अपीलार्थी के वकील के निवेदन का खंडन करते हुए तर्क देते हैं कि अनीस फातमा बेगम (ऊपर) में इस न्यायालय का निर्णय रमेश गोबिंदराम को खारिज नहीं करता है। प्रत्यर्थी का मामला यह है कि वह 1967 से संपत्ति के कब्जे में है। वर्ष 1970 में केंद्र सरकार को बिना किसी सूचना के संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में सत्यापित किया गया था। प्रत्यर्थी राजस्व प्राधिकरण के समक्ष संपत्ति पर अपने अधिकार के परिवर्तन की मांग करने के लिए अपीलकर्ता बोर्ड के कदम का विरोध कर रहा है। पंजाब वक्फ बोर्ड ने वर्ष 1970 में वक्फ के तहत वक्फ में सूट भूमि को अधिसूचित किया।

प्रत्यर्थी को कोई सूचना दिए बिना अधिनियम, 1954। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के शीर्षक का खंडन किया गया है। अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया मुकदमा दीवानी न्यायालय के समक्ष विचारणीय नहीं था, इसलिए प्रतिवादी द्वारा आदेश VII नियम 10 और 11 सी. पी. सी. के तहत शिकायत को खारिज करने के लिए आवेदन दायर किया गया था।

14. प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि शाम सिंह हरिके और अन्य लोगों ने भी सिविल अदालत में मुकदमा दायर किया है।

न्यायाधीश, भारत संघ के खिलाफ वरिष्ठ प्रभाग और पंजाब सहित अन्य, वक्फ बोर्ड ने यह घोषणा करने की मांग की है कि सूट भूमि वक्फ संपत्ति नहीं है और न ही वक्फ बोर्ड के पास अधिकार है और कोई भी ब्याज और न ही वह उसे जबरन बेदखल कर सकता है। 15. तेजा सिंह की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. बी. उपाध्याय ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी द्वारा 1999 का मुकदमा दायर किया गया है जो सिविल जज (जूनियर) द्वारा तय किया गया है।

डिवीजन) प्रतिवादियों को वादी को जबरन या अवैध रूप से बेदखल करने से रोकना, जिसके खिलाफ पंजाब वक्फ बोर्ड द्वारा दायर अपील को भी 09.04.2005 पर खारिज कर दिया गया था।

श्री उपाध्याय ने रमेश गोबिंदराम मामले और 2 एस. सी. आर. पर बहुत अधिक भरोसा किया है।

प्रस्तुत करता है कि रमेश गोबिंदराम के फैसले को देखते हुए, अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया मुकदमा विचारणीय नहीं था और शिकायत को दीवानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सही ढंग से वापस कर दिया गया है।

16. हमने पक्षों की दलीलों पर विचार किया है और गौर किया है

अभिलेखों को।

17. मुख्य मुद्दा जो इनमें विचार के लिए उठा है

अपील इस बारे में है कि क्या अपीलार्थी द्वारा वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष मुकदमा संपत्ति के कब्जे की डिक्री के लिए अनुरोध करते हुए दायर किया गया था

वक्फ ट्रिब्यूनल में रखरखाव योग्य या केवल सिविल कोर्ट में होगा। हालांकि, वक्फ ट्रिब्यूनल ने माना है कि मुकदमा उसके समक्ष विचारणीय था, उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के उस आदेश को पलट दिया है जिसमें कहा गया है कि रमेश गोबिंदरम में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करते हुए यह मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष विचारणीय नहीं है। इससे पहले कि हम रमेश गोबिंदराम में इस न्यायालय के फैसले और पक्षों द्वारा भरोसा किए गए फैसलों पर ध्यान दें, वक्फ और वक्फ संपत्ति से संबंधित वैधानिक प्रावधानों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

18. संसद द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 के अधिनियमन से पहले,

वक्फ अधिनियम, 1954 लागू था। वक्फ अधिनियम, 1954 में कई कमियां पाई गईं, जिसके कारण वक्फ द्वारा व्यापक संशोधन किए गए

वक्फ जाँच समिति की सिफारिशों के आधार पर संशोधन अधिनियम, 1984। हालांकि, 1984 (संशोधन) अधिनियम के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सका। अधिनियम, 1995 पर आने से पहले उस वैधानिक व्यवस्था पर ध्यान देना प्रासंगिक है जो अधिनियम, 1995 से पहले प्रचलित थी। वक्फ

(संशोधन) विधेयक, 1984 को उद्देश्यों और कारणों के विवरण के साथ पेश किया गया था। पैराग्राफ 3 (vii) जो वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार हैः

" 3. विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ संशोधन करने का प्रयास किया गया है - वक्फ अधिनियम, 1954, निम्नलिखित मामलों के संबंध में, अर्थात्ः

X

XX

XXX

XXX

(vii) शीघ्रता के लिए न्यायाधिकरणों की नियुक्ति का प्रावधान करना।

विवादों, प्रश्नों या संबंधित अन्य मामलों का निर्धारण

वक्फों के लिए; ऐसे प्रत्येक न्यायाधिकरण में एक व्यक्ति शामिल होना चाहिए जो

राज्य न्यायिक सेवा का एक सदस्य होगा जो एक पद धारण करेगा जिला न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश से कम नहीं, प्रथम

वर्ग;

X

XX "

XXX

XXX पंजाब वक्फ बोर्ड v. शाम सिंह हरिक [अशोक भूषण, जे।]

19. वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 55 (1984 के संशोधन से पहले)

यह इस प्रकार हैः

" धारा-55। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 92 के तहत मुकदमों की स्थापना।

(1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 92 में उल्लिखित किसी भी राहत को प्राप्त करने के लिए एक मुकदमा।

वक्फ, उस धारा में इसके विपरीत कुछ भी निहित होने के बावजूद, बोर्ड द्वारा प्राप्त किए बिना स्थापित किया जा सकता है

(2) किसी वक्फ से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 92 में निर्दिष्ट किसी भी राहत को प्राप्त करने के लिए बोर्ड के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। बोर्ड की लिखित सहमति के बिना और ऐसे किसी मुकदमे की स्थापना के लिए, उस धारा में निर्दिष्ट सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा, भले ही इसमें कुछ भी निहित हो।

उसमेंः

बशर्ते कि इस उप-धारा में कुछ भी संबंध में लागू नहीं होगा

बोर्ड के खिलाफ इस तरह के किसी भी मुकदमे के लिए।

20. वक्फ अधिनियम, 1954 में व्यापक संशोधन किए गए। 55 को निम्नलिखित तरीके से प्रतिस्थापित किया गया थाः

" 55. न्यायाधिकरणों की नियुक्ति, शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र।

राजपत्र में उस क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं को परिभाषित किया गया है जिसके संबंध में उसके द्वारा नियुक्त प्रत्येक न्यायाधिकरण इसके तहत अधिकारिता का प्रयोग करेगा। एक्ट करें।

(2) वक्फ का कोई मुतवल्ली, वक्फ में रुचि रखने वाला व्यक्ति या इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश के तहत दिए गए किसी आदेश से व्यथित कोई अन्य व्यक्ति, इस अधिनियम में निर्दिष्ट समय के भीतर या जहां ऐसा कोई समय निर्दिष्ट नहीं किया गया है, ऐसे समय के भीतर, जो निर्धारित किया जाए, किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के निर्धारण के लिए न्यायाधिकरण को आवेदन कर सकता है। वक्फ से संबंधित।

(3) जहां उप-धारा (1) के तहत किया गया कोई आवेदन किसी ऐसी वक्फ संपत्ति से संबंधित है जो दो या दो से अधिक न्यायाधिकरणों की अधिकारिता की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर आती है, वहां ऐसा आवेदन -

उस न्यायाधिकरण को भेजा जाए जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर मुतवल्ली या उसके मुतवल्ली में से कोई एक

वक्फ वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है, व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, और जहां ऐसा कोई आवेदन उपरोक्त न्यायाधिकरण को किया जाता है, तो अधिकार क्षेत्र वाले अन्य न्यायाधिकरण या न्यायाधिकरण ऐसे विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के निर्धारण के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं करेंगेः

बशर्ते कि राज्य सरकार, यदि उसकी राय हो कि वह वक्फ या किसी अन्य व्यक्ति के हित में समीचीन है,

वक्फ या वक्फ संपत्ति में रुचि रखने वाले, इस तरह के आवेदन को किसी अन्य न्यायाधिकरण को हस्तांतरित करने के लिए जिसका अधिकार क्षेत्र है

ऐसे वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित विवाद, प्रश्न या अन्य मामले का निर्धारण, ऐसे आवेदन को अधिकार क्षेत्र वाले किसी अन्य न्यायाधिकरण को हस्तांतरित करना, और ऐसे हस्तांतरण पर, जिस न्यायाधिकरण को आवेदन इस प्रकार हस्तांतरित किया गया है, वह आवेदन को उस स्तर से देखेगा जो उस न्यायाधिकरण के समक्ष पहुंचा था जहां से आवेदन इस प्रकार स्थानांतरित किया गया है, सिवाय इसके कि जहां न्यायाधिकरण की राय है कि आवेदन को नए सिरे से निपटाना न्याय के हित में आवश्यक है। (4) प्रत्येक न्यायाधिकरण में एक व्यक्ति होगा, जो राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य होगा, जो जिला और सत्र न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश, वर्ग I से कम का पद नहीं रखेगा, और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की नियुक्ति या तो नाम से या पदनाम से की जा सकती है।

(5) न्यायाधिकरण को एक दीवानी न्यायालय माना जाएगा और उसके पास वही शक्तियां होंगी जो दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत दीवानी न्यायालय द्वारा किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय या किसी डिक्री या आदेश को निष्पादित करते समय प्रयोग की जा सकती हैं।

(6) सिविल संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद

प्रक्रिया, 1908 (1908 का 5), न्यायाधिकरण ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो निर्धारित की जाए:

बशर्ते कि जहां निर्धारित प्रक्रिया से अलग कोई प्रक्रिया इस अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट की गई है, वहां न्यायाधिकरण इस अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करेगा।

पंजाब वक्फ बोर्ड बनाम। शाम सिंह हरिक [अशोक भूषण, जे।]

(7) न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और आवेदन के पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा और इसमें एक डिक्री का बल होगा।

एक दीवानी अदालत द्वारा बनाया गया।

(8) न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय का निष्पादन उस दीवानी न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसे ऐसा निर्णय निष्पादन के लिए भेजा जाता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार,

1908 (5 1908)।

(9) किसी भी निर्णय या आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी चाहे वह अंतरिम हो।

या अन्यथा, न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया या बनाया गयाः

बशर्ते कि कोई उच्च न्यायालय अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या बोर्ड या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर, किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य से संबंधित अभिलेखों की मांग और जांच कर सकता है।

मामला जो न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है

इस तरह के निर्धारण की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने का उद्देश्य और इस तरह के निर्धारण की पुष्टि, उलट या संशोधन कर सकता है या ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकता है जो वह कर सकता है। ठीक से सोचें। "

21. धारा 55 सी को सिविल टी की अधिकारिता के बार से संबंधित जोड़ा गया था जो निम्नलिखित प्रभाव से थाः

" 55 - सी. के संबंध में दीवानी न्यायालयों की अधिकारिता का बार

न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित मामले। -कोई मुकदमा या अन्य कानूनी नहीं

किसी भी विवाद के संबंध में किसी भी दीवानी अदालत में कार्यवाही होगी,

किसी वक्फ, वक्फ संपत्ति या अन्य मामले से संबंधित प्रश्न या अन्य मामला जो इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत आवश्यक है -

एक न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित। ”

22. वक्फ अधिनियम, 1995 का अध्याय VIII न्यायिक मामलों से संबंधित है।

ईडिंग्स। इस मामले के लिए प्रासंगिक धारा 83 और 85 इस प्रकार हैं -

बनाम -

" 83. न्यायाधिकरणों का गठन, आदि। - (1) राज्य

सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, वक्फ या वक्फ से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के निर्धारण के लिए जितने उचित समझे उतने न्यायाधिकरणों का गठन करेगी। इस अधिनियम के तहत संपत्ति और ऐसे न्यायाधिकरणों की स्थानीय सीमाओं और अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करना।

(2) वक्फ में रुचि रखने वाला कोई मुतवल्ली व्यक्ति या इस अधिनियम या बनाए गए नियमों के तहत दिए गए आदेश से व्यथित कोई अन्य व्यक्ति।

इसके तहत, [2019] 2 एस. सी. आर. में निर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन कर सकते हैं।

इस अधिनियम या जहां ऐसा कोई समय निर्दिष्ट नहीं किया गया है, ऐसे समय के भीतर जो निर्धारित किया जाए, निर्धारण के लिए न्यायाधिकरण को

वक्फ से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले का। (3) जहां उप-धारा (1) के तहत किया गया कोई आवेदन किसी भी वक्फ संपत्ति से संबंधित है जो क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर आती है -

दो या दो से अधिक न्यायाधिकरणों की अधिकारिता में, ऐसा आवेदन उस न्यायाधिकरण को किया जा सकता है जिसकी स्थानीय सीमाएँ

अधिकारिता मुतवल्ली या वक्फ के मुतवल्ली में से कोई भी वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है, व्यवसाय करता है या

व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, और जहां उपरोक्त न्यायाधिकरण को ऐसा कोई आवेदन किया जाता है, वहां अधिकार क्षेत्र वाले अन्य न्यायाधिकरण या न्यायाधिकरण ऐसे विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के निर्धारण के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं करेंगेः

बशर्ते कि राज्य सरकार, यदि उसकी राय हो कि यह वक्फ या किसी अन्य व्यक्ति के हित में समीचीन है,

वक्फ या वक्फ संपत्ति में रुचि रखने वाले ऐसे आवेदन को किसी अन्य न्यायाधिकरण को हस्तांतरित करने के लिए जिसका अधिकार क्षेत्र है

ऐसे वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित विवाद, प्रश्न या अन्य मामले का निर्धारण, ऐसे आवेदन को अधिकार क्षेत्र वाले किसी अन्य न्यायाधिकरण को हस्तांतरित करना, और ऐसे हस्तांतरण पर, जिस न्यायाधिकरण को आवेदन इस प्रकार हस्तांतरित किया जाता है, वह इस बारे में विचार करेगा - न्यायाधिकरण के समक्ष पहुँचने वाले मंच से आवेदन

जहां से आवेदन इस तरह से स्थानांतरित किया गया है, सिवाय इसके कि जहां न्यायाधिकरण की राय है कि न्याय के हित में आवेदन पर नए सिरे से विचार करना आवश्यक है।

(6) सिविल संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद प्रक्रिया, 1908, न्यायाधिकरण ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो निर्धारित की जाए।

(7) न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और आवेदन के पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा और इसका बल होगा -

सिविल न्यायालय द्वारा बनाई गई डिक्री।

(8) न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय का निष्पादन सिविल न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसे ऐसा निर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन के लिए भेजा जाता है।

1908 .

(9) न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए या दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी, चाहे वह अंतरिम हो या अन्यथाः

बशर्ते कि कोई उच्च न्यायालय अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या बोर्ड या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर, और किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य से संबंधित अभिलेखों की जांच करें।

मामला जो न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है

इस तरह के निर्धारण की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने का उद्देश्य और इस तरह के निर्धारण की पुष्टि, उलट या संशोधन कर सकता है या ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकता है जो वह कर सकता है। उचित सोचें।

85. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का बार। -कोई सूट या अन्य नहीं

किसी भी वक्फ, वक्फ संपत्ति या अन्य मामले से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के संबंध में कानूनी कार्यवाही किसी भी दीवानी न्यायालय में होगी जो इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत आवश्यक है।

एक न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाना "।

23. पंजाब द्वारा दायर मुकदमे में (पंजाब वक्फ बोर्ड बनाम तेजा सिंह) की C.A.No.93 में इन अपीलों के तथ्यों पर वापस लौटते हुए

बोर्ड वादी ने निम्नलिखित राहतों के लिए दावा किया हैः

" इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि 29 के-9 एम माप की संपत्ति के कब्जे के लिए एक डिक्री खेवात No.224, खतौनी में शामिल हो।

No.277, खसरा No.55, ग्राम तलवाड़ा के वर्ष 2000-2001 के लिए जमाबंदी के अनुसार 56,57, एच. बी. संख्या 149, तहसील लुधाना पश्चिम,

जिला लुधियाना;

और

प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा देने के लिए, उसके एजेंट, वकील, सहयोगी किसी भी तरह से संपत्ति की प्रकृति में हस्तक्षेप करने और उसे बदलने से रोक सकते हैं। वादी के पक्ष में पारित किया जाए। ”

24. वादी का मामला यह था कि तेजा सिंह को मुकदमे की संपत्ति छोड़ दी गई थी, ई वर्ष 1996-97, न तो पट्टे का नवीनीकरण किया गया था और न ही पट्टेदार को सौंपा गया था [2019] 2 एस. सी. आर.

स्वामित्व। तेजा सिंह ने अवैध कार्य किए, कानूनी नोटिस के बाद 05.12.1998 पर पट्टा रद्द कर दिया गया था। इसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। वादी ने यह भी कहा था कि तेजा सिंह पट्टे का नवीनीकरण कराने में विफल रहे और बोर्ड के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया जिसमें सिविल जज (जूनियर डिवीजन) ने बोर्ड को तेजा सिंह को बेदखल करने से रोकने वाले मुकदमे का आदेश दिया।

जबरन या अवैध रूप से। तेजा सिंह का मामला अपने लिखित बयान में था कि प्रतिवादी ने आवंटन आदेश और किराया विलेख के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है, प्रतिवादी अभी भी किराया देने के लिए तैयार है, वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पट्टा समाप्त नहीं किया गया है।

25. 2019 (पंजाब वक्फ बोर्ड बनाम शाम सिंह हरिके) में C.A.No.92 0 पर आते हुए, मुकदमे में वादी का मामला यह था कि मुकदमा जमीन पर था।

वर्ष 1972 में शाम सिंह को उनकी पत्नी कुलदिप कौर के साथ खेती के लिए छोड़ दिया गया था। प्रतिवादी ने कुछ अवधि के लिए किराया जमा किया और उसके बाद उसने बोर्ड के हितों के खिलाफ काम किया और एक झूठा मुकदमा शुरू किया। संपत्ति को प्रतिवादी को कृषि उद्देश्यों के लिए दिया गया था, जिसे संपत्ति पर निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं था। विभिन्न का विवरण

प्रतिवादी द्वारा शुरू किए गए मुकदमों को वाद में दिया गया था। प्रतिवादी ने राजस्व प्राधिकरण से भूमि के आवंटन के लिए विभिन्न कार्यवाही शुरू की जिन्हें खारिज कर दिया गया। संपत्ति में परिवर्तन किया गया है

वक्फ बोर्ड का नाम। प्रतिवादी शाम सिंह द्वारा दायर लिखित बयान में वक्फ बोर्ड के शीर्षक पर विवाद था और यह दलील दी गई थी कि मुकदमा विचारणीय नहीं है और खारिज किया जा सकता है। जब तक और जब तक मुकदमे की संपत्ति को वादी की संपत्ति घोषित नहीं किया जाता है, तब तक कोई भी मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं है। वादी के नाम में परिवर्तन किसी भी शीर्षक को प्रदान नहीं करता है। इस प्रकार, अपीलार्थी द्वारा दायर दोनों मुकदमों में, वक्फ ट्रिब्यूनल में मुकदमे की स्थिरता पर सवाल उठाया गया था। शाम सिंह द्वारा दायर लिखित बयान में मुक़दमे की संपत्ति के लिए अपीलार्थी का शीर्षक था

पूछताछ की और चुनौती दी।

26. अब, हमें रमेश गोबिंदराम (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिस पर उच्च न्यायालय के साथ-साथ विद्वान वकील भी हैं।

उत्तरदाता ने भारी निर्भरता रखी है। उपरोक्त मामले में, आंध्र प्रदेश वक्फ न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित किया है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई थी जिसके खिलाफ अपील दायर की गई थी। उस मामले में शामिल मुद्दे को फैसले के पैराग्राफ 2 में देखा गया है।

जिसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ता हैः

" 2. सवाल यह हैः क्या वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 83 के तहत गठित वक्फ न्यायाधिकरण विचार करने के लिए सक्षम था और पंजाब वक्फ बोर्ड v.

शाम सिंह हरिक [अशोक भूषण, जे।]

अपीलार्थियों की बेदखली के संबंध में विवादों पर निर्णय लेना जो स्वीकार्य रूप से वक्फ की विभिन्न वस्तुओं पर कब्जा कर रहे हैं

संपत्ति? वक्फ ट्रिब्यूनल, जिसके समक्ष किरायेदारों को बेदखल करने के मुकदमे दायर किए गए थे, ने अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में सवाल का सकारात्मक जवाब दिया और इसके खिलाफ दायर मुकदमे का फैसला सुनाया।

अपीलार्थी "।

27. इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में देखा कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा वक्फ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के सवाल पर व्यक्त न्यायिक राय में दरार है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विचारों पर ध्यान दिया गया है, जहां उच्च न्यायालयों ने यह विचार रखा है कि वक्फ न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र किसी भी वक्फ संपत्ति से संबंधित सभी प्रकार के विवादों पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए पर्याप्त है। कर्नाटक के उच्च न्यायालय, मद्रास, इलाहाबाद और बॉम्बे के उच्च न्यायालयों के विपरीत दृष्टिकोण को भी देखा गया। यह न्यायालय वक्फ अधिनियम, 1995 की योजना की जांच करने के लिए आगे बढ़ा। अधिनियम की धारा 85 के संबंध में धारा 6,7,25 की योजना और अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखने के बाद, इस न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 24 और 28 में निम्नलिखित कहा गया थाः

" 24. ..... उपरोक्त को सीधे पढ़ने से पता चलता है कि दीवानी अदालत की अधिकारिता केवल उन मामलों में बाहर रखी गई है जहां न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अधिनियम के तहत विवादग्रस्त मामले की आवश्यकता होती है। शब्द "जो इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत एक न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है" प्रश्न की कुंजी रखता है।

वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित सभी विवाद हैं या नहीं

दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

28. अधिनियम की धारा 85 स्पष्ट रूप से दीवानी अदालतों के अधिकार क्षेत्र को पारित आदेशों या कार्यवाही के संबंध में किसी भी मुकदमे या कार्यवाही पर विचार करने से रोकती है जो इससे पहले शुरू की जा सकती है।

न्यायाधिकरण। यह इस प्रकार है कि यद्यपि धारा 85 अधिनियम की धारा 6 और 7 में निहित धाराओं की तुलना में व्यापक है, धारा 85 के तहत भी दीवानी न्यायालयों की अधिकारिता का बहिष्करण निरपेक्ष नहीं है। यह केवल उन मामलों तक सीमित है जो एक न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अधिनियम द्वारा आवश्यक हैं। जब तक विवाद या

दीवानी अदालत के समक्ष उठाया गया प्रश्न न्यायाधिकरण में निहित शक्तियों के चार कोनों के भीतर नहीं आता है, ऐसे किसी भी प्रश्न के संबंध में किसी मुकदमे या कार्यवाही पर विचार करने के लिए न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को वर्जित नहीं कहा जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28. इस न्यायालय ने धारा 83 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कहा है कि

धारा 83 अधिकारिता के अपवर्जन से संबंधित नहीं है -

आम तौर पर दीवानी मुकदमों या किसी विशेष के मुकदमे पर विचार करने के लिए न्यायालय

या श्रेणी। इसने धारा 83 की व्याख्या एक प्रावधान के रूप में की जो नहीं करता है

सिविल न्यायालय की अधिकारिता। निम्नलिखित में कहा गया था ग्राफ 29:

तथापि, अधिनियम की धारा 83,

" 29 ..... सिविल के अधिकार क्षेत्र के बहिष्करण से संबंधित नहीं है

धारा 83 एक प्रावधान के रूप में जो सिविल की अधिकारिता को बाहर करती है इसलिए, अदालतें उस प्रावधान के लिए कानूनी रूप से सही नहीं हैं।

न्यायाधिकरणों के गठन के साथ, वह प्रक्रिया जो न्यायाधिकरण करते हैं इसके बाद और उससे संबंधित मामले होंगे।

29. धारा 83 की व्याख्या निम्नलिखित रूप में की गई है।

इस न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 31,32 और 33 में

" 31. उपरोक्त धारा 83 की उप-धारा (1) से यह स्पष्ट है कि

राज्य सरकार को अधिक से अधिक स्थापित करने का अधिकार है

न्यायाधिकरण जो किसी भी विवाद के निर्धारण के लिए उचित समझे,

वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित प्रश्न या अन्य मामला अधिनियम के तहत और उनके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं को परिभाषित करें।

धारा 83 की उप-धारा (2) किसी भी मुतवल्ली या अन्य की अनुमति देती है।

वक्फ में रुचि रखने वाला व्यक्ति या किसी आदेश से पीड़ित कोई व्यक्ति

अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत बनाया गया

किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य के निर्धारण के लिए न्यायाधिकरण

वक्फ से संबंधित मामला। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधिकरण केवल तभी संपर्क किया जा सकता है जब ऐसा करने वाला व्यक्ति मुतवल्ली हो या

वक्फ में रुचि रखने वाला या इसके तहत दिए गए आदेश से व्यथित व्यक्ति

अधिनियम या नियम। धारा 83 के शेष प्रावधान उस प्रक्रिया का प्रावधान करें जिसका न्यायाधिकरण पालन करेगा और

जिस रीति से किसी न्यायाधिकरण के निर्णय का निष्पादन किया जाएगा। नहीं। हालाँकि, ऐसे किसी भी आदेश के खिलाफ अपील कायम रखी जा सकती है, हालांकि

उच्च न्यायालय अभिलेखों की मांग कर सकता है और इसके बारे में निर्णय ले सकता है

द्वारा किए गए किसी भी निर्णय की शुद्धता, वैधता या औचित्य न्यायाधिकरण।

32. हमारे विचार में, धारा 83 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि

दीवानी अदालतों के अधिकार क्षेत्र के बहिष्करण को आगे बढ़ाता है (एस. आई. सी.) धारा 6 (5), धारा पंजाब वक्फ बोर्ड v में जो प्रावधान किया गया है, उससे परे।

शाम सिंह हरिक [अशोक भूषण, जे।]

7 और अधिनियम की धारा 85। यह केवल सरकार को किसी भी विवाद, वक्फ या वक्फ से संबंधित अन्य मामले के प्रश्न के निर्धारण के लिए एक न्यायाधिकरण या न्यायाधिकरण का गठन करने का अधिकार देता है।

ऐसी संपत्ति जिसका वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि दीवानी न्यायालयों की अधिकारिता इस तरह के कारणों से पूरी तरह से बाहर है।

स्थापना।

33. यह उल्लेखनीय है कि धारा 83 (1) में "वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के निर्धारण के लिए" अभिव्यक्ति भी दिखाई देती है। अधिनियम की धारा 85। हालाँकि, धारा 85 किसी भी या प्रत्येक प्रश्न या विवाद के संबंध में दीवानी न्यायालयों की अधिकारिता को केवल इसलिए बाहर नहीं करती है क्योंकि यह एक वक्फ या विवाद से संबंधित है।

वक्फ संपत्ति। धारा 85 में प्रावधान किया गया है कि दीवानी अदालत की अधिकारिता केवल ऐसे मामलों के संबंध में बहिष्कृत रहेगी जो इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है -

न्यायाधिकरण। ”

30. इस न्यायालय द्वारा अंतिम निष्कर्ष दर्ज किया गया है

ग्राफ 34 और 35 जो इस प्रकार हैं:

" 34. सिविल न्यायालय की अधिकारिता के अपवर्जन के संबंध में याचिका उठाए जाने वाले प्रत्येक मामले में जिस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए, वह यह है कि क्या न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत है या सिविल न्यायालय के समक्ष लाए जाने वाले मामले से निपटने के लिए आवश्यक नियमों के तहत है। यदि ऐसा नहीं है, तो दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं रखा गया है। लेकिन अगर न्यायाधिकरण को मामले का फैसला करने की आवश्यकता होती है तो दीवानी अदालत का अधिकार क्षेत्र बाहर रहेगा।

35. हाथ में मामलों में, अधिनियम किसी के लिए प्रावधान नहीं करता है

वक्फ संपत्ति के कब्जे में किसी किरायेदार की बेदखली या ऐसी संपत्ति के पट्टेदार और पट्टेदारों के अधिकारों और दायित्वों से संबंधित विवाद के निर्धारण के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही। इसलिए, किरायेदारों को वक्फ संपत्ति से बेदखल करने की मांग करने वाला मुकदमा केवल इससे पहले दायर किया जा सकता है।

दीवानी अदालत और न्यायाधिकरण के समक्ष नहीं।

31. पैराग्राफ 34 में देखे गए फैसले का सार यह है कि ट्रिब्यूनल उस अधिनियम या नियमों के तहत है जो हैटर से निपटने के लिए आवश्यक है जिसे सिविल कोर्ट के समक्ष लाया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तोदीवानी न्यायालय के कथन को बाहर नहीं रखा गया है। लेकिन अगर न्यायाधिकरण को मामले का हवाला देने की आवश्यकता होती है तो दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बना रहेगा।

दी "। इस प्रकार, ऊपर देखे गए निर्णय का अनुपात [2019] 2 एस. सी. आर. के रूप में है।

चाहे न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत हो या लाए जाने वाले मामले से निपटने के लिए आवश्यक नियमों के तहत हो।

32. रमेश गोबिंदराम के मामले में इस अदालत के फैसले के बाद, कई दो फैसले हैं-इस अदालत के न्यायाधीशों के फैसले या तो रमेश गोबिंदराम के फैसले के बाद या एक या एक पर अंतर करते हुए।

अन्य कारण। इस अदालत ने भंवर लाल और एक अन्य बनाम राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड और अन्य, (2014) 16 एस. सी. सी. 51 में रमेश गोबिंदराम के मामले के फैसले पर विस्तार से ध्यान दिया। इस न्यायालय ने अंततः उस मामले के तथ्यों में कहा कि चूंकि मुकदमा अधिनियम के प्रवर्तन से बहुत पहले दायर किया गया था, अर्थात सरदार खान और अन्य बनाम में निर्धारित उक्ति को ध्यान में रखते हुए। सैयद नजमुल हसन (सेठ) और अन्य, (2007) 10 एस. सी. सी. 727, सिविल कोर्ट, जहां मुकदमा दायर किया गया था, का अधिकार क्षेत्र बना रहेगा। पैराग्राफ 30 में निम्नलिखित है - निर्धारित किया गयाः

" 30. यह मुकदमा बिक्री विलेख, किराया और कब्जे के साथ-साथ खातों के प्रत्यर्पण और न्यासियों को हटाने के लिए है। हालाँकि, वाद में अभिवचन हमारे समक्ष दायर नहीं किए जाते हैं और इसलिए, दावा की गई राहत की सटीक प्रकृति के साथ-साथ वाद या लिखित बयानों में किए गए कथन हमें ज्ञात नहीं हैं। हम ये टिप्पणियां इस कारण से कर रहे हैं कि मुकदमे में दावा की गई कुछ राहतें न्यायाधिकरण के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आती प्रतीत होती हैं, जबकि अन्य राहतों के लिए दीवानी अदालत सक्षम होगी। रमेश गोबिंदराम (2010) 8 एस. सी. सी. 726 के अनुपात को देखते हुए, कब्जे और किराए के मुकदमे की सुनवाई दीवानी अदालत द्वारा की जानी है। हालांकि, न्यासियों को हटाने और खातों को प्रस्तुत करने से संबंधित मुकदमा न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आएगा। जहाँ तक बिक्री विलेख के रद्द होने की राहत है

संबंधित इस पर दीवानी अदालत द्वारा इस कारण से मुकदमा चलाया जाना है कि यह अधिनियम की धारा 6 या 7 के अंतर्गत नहीं आता है जिसके तहत कोई अधिकार क्षेत्र है।

न्यायाधिकरण को इस तरह के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए सौंपा गया है। इसके अलावा, कब्जे की राहत, जो दीवानी अदालत द्वारा दी जा सकती है, इस सवाल पर निर्भर करती है कि बिक्री विलेख वैध है या नहीं। इस प्रकार, बिक्री विलेख और अधिकार के मुद्दे एक दूसरे के साथ अटूट रूप से मिश्रित हैं। हमने ये टिप्पणियां कानूनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए की हैं। जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, चूंकि मुकदमा अधिनियम के लागू होने से बहुत पहले दायर किया गया था, सरदार खान मामले में निर्धारित आदेश के अनुसार, यह दीवानी अदालत है जहां मुकदमा दायर किया गया था, इस मुद्दे पर अधिकार क्षेत्र बना रहेगा और दीवानी अदालत इसका फैसला करने में सक्षम होगी। पंजाब वक्फ बोर्ड बनाम।

शाम सिंह हरिक [अशोक भूषण, जे।]

33. फ़सीला एम. बनाम मुन्नरुल इस्लाम मदरसा समिति

और एक अन्य, (2014) 16 एस. सी. सी. 38, मदरसा समिति ने वक्फ संपत्ति के संबंध में वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलार्थी को बेदखल करने के लिए मुकदमा दायर किया। ट्रिब्यूनल ने शिकायत को सिविल कोर्ट में वापस करने का निर्देश दिया जिसे 18.09.2010 पर वापस ले लिया गया था। अपीलार्थी ने यह घोषणा करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण दायर किया था कि वक्फ न्यायाधिकरण का इस मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है जिसे उच्च न्यायालय ने रमेश गोबिंदराम पर भरोसा करते हुए खारिज कर दिया था। इस न्यायालय ने कहा कि वक्फ संपत्ति से संबंधित किरायेदार के खिलाफ बेदखली का मुकदमा विशेष रूप से दीवानी न्यायालय द्वारा विचारणीय है। पैराग्राफ 16 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया हैः

वक्फ संपत्ति से संबंधित मुकदमा विशेष रूप से दीवानी अदालत द्वारा चलाया जा सकता है क्योंकि ऐसा मुकदमा धारा 6 में निर्दिष्ट विवादों के दायरे में नहीं आता है। और अधिनियम का 7 "।

34. इस न्यायालय के कुछ निर्णय हैं जिनमें रमेश गोबिंदराम को अलग किया गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उन मामलों में मुकदमा वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष बनाए रखने योग्य था। वक्फ बोर्ड में, पश्चिम बंगाल और एक अन्य बनाम अनीस फातमा बेगम और एक अन्य, (2010) 14 एस. सी. सी. 588, कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपने मूल समन अधिकार क्षेत्र में एक मुकदमा दायर किया गया था जिसमें वक्फ संपत्ति के सीमांकन पर सवाल उठाया गया था। फैसले के पैराग्राफ 4 में इस अदालत ने मुद्दों पर ध्यान दिया

उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया। इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत मामले में केवल वक्फ न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र है और उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमा अधिकार क्षेत्र से बाहर था। उक्त निवेदन इस न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। पैराग्राफ 6 और 7 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

“ 6. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉ. राजीव धवन ने कहा कि वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत मामले में केवल वक्फ न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र है और इसलिए उच्च न्यायालय में दायर मुकदमा अधिकार क्षेत्र से बाहर था। हम सहमत हैं।
7. वर्तमान मामले में विवाद एक वक्फ से संबंधित है। हमारी राय में, वक्फ से संबंधित सभी मामलों को वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 83 के तहत गठित वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष पहली बार में दायर किया जाना चाहिए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दीवानी अदालत या सीधे उच्च न्यायालय द्वारा इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। यह उल्लेख किया जा सकता है कि वक्फ अधिनियम, 1995 एक हालिया संसदीय कानून है जिसने वक्फ से संबंधित विवादों को तय करने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण का गठन किया है।

इस तरह के न्यायाधिकरण के गठन का स्पष्ट उद्देश्य यह था कि वक्फ से संबंधित बहुत सारे मामले भारत की अदालतों में दायर किए जा रहे थे और वे देश की सभी अदालतों में बहुत अधिक समय बिता रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई।

इसलिए, ऐसे मामलों पर निर्णय लेने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण का गठन किया गया है।

35. धारा 83 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय ने कहा कि शब्द "कोई भी विवाद, प्रश्न या वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित अन्य मामला" व्यापक अर्थ के शब्द हैं और कोई भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामला जो भी और किसी भी तरीके से वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित उत्पन्न होता है, वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा तय किया जा सकता है। पैराग्राफ 10 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

" 10. इस प्रकार, वक्फ न्यायाधिकरण सभी विवादों, प्रश्नों पर निर्णय ले सकता है।

या वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित अन्य मामले। शब्द "कोई विवाद, प्रश्न या वक्फ से संबंधित अन्य मामले या

वक्फ संपत्ति ", हमारी राय में, बहुत व्यापक शब्द हैं।

अर्थ। वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित कोई भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले जो भी और किसी भी तरीके से उत्पन्न होते हैं, वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा तय किए जा सकते हैं। "वक्फ" शब्द

वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 3 (आर) में परिभाषित किया गया है और इसलिए एक बार संपत्ति को वक्फ संपत्ति पाया जाता है जैसा कि में परिभाषित किया गया है।

धारा 3 (आर), फिर किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले से संबंधित

इसे वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष आंदोलन किया जाना चाहिए। ”

36. इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि जब विशेष कानून प्रदान करता है

एक विशेष मंच के लिए, तब सामान्य कानून का सहारा नहीं लिया जा सकता है। पैराग्राफ 14,15 और 16 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

" 14. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब कोई विशेष कानून प्रदान करता है एक विशेष मंच के लिए, फिर सामान्य को सहारा नहीं दिया जा सकता है

न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह के सांविधिक सिद्धांतों के अनुसार व्याख्या (9 वीं संस्करण। , 2004 , पीपी। 133-34) .

15. मुख्य अभियंता, पनबिजली परियोजना बनाम। रवींद्र नाथ,

(2008) 2 एस. सी. सी. 350, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब मामला औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में आता है, तो दीवानी न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। उपरोक्त निर्णय में न्यायालय ने इस मुद्दे पर पहले के कई निर्णयों का उल्लेख किया है।

16. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि चूंकि मामला वक्फ अधिनियम के दायरे में आता है, इसलिए इस मामले में केवल वक्फ न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र है, न कि दीवानी अदालत का।

पंजाब वक्फ बोर्ड बनाम। शाम सिंह हरिक [अशोक भूषण, जे।]

हालांकि, सरदार खान के मामले में इस अदालत के फैसले को देखते हुए

वी. सैयद नजमुल हसन (सेठ), (2007) 10 एस. सी. सी. 727, वक्फ अधिनियम मुकदमों/अपीलों/संशोधनों/कार्यवाही पर लागू नहीं होगा।

1-1-1996 से पहले शुरू हुआ जब वक्फ अधिनियम आया बल "।

37. रमेश में इस न्यायालय के फैसले को अलग करते हुए

गोबिंदराम (ऊपर) पैराग्राफ 17 में निम्नलिखित कहा गया थाः

" 17. हालाँकि, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील ने इस पर भरोसा किया

रमेश गोबिंदराम बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। सुग्रा

हुमायूं मिर्जा वक्फ। उपरोक्त निर्णय में यह निर्णय लिया गया था

कि बेदखली की कार्यवाही केवल दीवानी अदालत द्वारा तय की जा सकती है और वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा नहीं। वर्तमान मामले में विवाद है

गोबिंदराम का मामला अलग है "।

38. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालांकि दो-उपरोक्त में न्यायाधीश पीठ

मामले में कहा गया है कि रमेश गोबिंदराम का फैसला है -

लेकिन पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड के फैसले का अनुपात, जिसे फैसले के पैराग्राफ 10 से लिया जा सकता है, रमेश गोबिंदराम के मामले से काफी अलग लगता है। पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया

शब्द "कोई भी विवाद, प्रश्न या अन्य"

" 10. .....

वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित मामले, हमारी राय में हैं,

जो भी और जो भी तरीके से उत्पन्न होता है वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित निर्णय वक्फ द्वारा लिया जा सकता है।

न्यायाधिकरण।

39. हरियाणा वक्फ बोर्ड बनाम महेश कुमार, (2014) 16

एस. सी. सी. 45, दो-इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ को वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 7 और 85 के प्रावधानों पर फिर से विचार करने का अवसर मिला। उपरोक्त मामले में हरियाणा वक्फ बोर्ड द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को पट्टे पर दी गई संपत्ति पर कब्जा करने के लिए मुकदमा दायर किया गया था। यह आरोप

लगाया जाता है कि पहले पट्टेदार ने प्रतिवादी के पक्ष में अवैध रूप से एक पट्टा विलेख बनाया था और इसे प्रतिवादी द्वारा अवैध अतिक्रमण के रूप में माना था। अपीलार्थी ने उनसे परिसर खाली करने का अनुरोध किया और जब उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो सिविल जज, जूनियर डिवीजन, करनाल की अदालत में मुकदमा दायर किया गया। द. प्रत्यर्थी उपस्थित हुआ और विभिन्न आपत्तियाँ उठाई और बनाए गए मुद्दों में से एक यह था कि मुकदमा वर्तमान मंच में बनाए रखने योग्य नहीं है। निचली अदालत ने उस मुकदमे का फैसला सुनाया जिसके खिलाफ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की गई थी। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने कहा कि [2019] से 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वक्फ बोर्ड द्वारा मुकदमे का दावा इस आधार पर किया गया था कि यह संपत्ति के अनुरूप है

वक्फ संपत्ति थी और चूंकि प्रतिवादी ने इसे वक्फ संपत्ति होने से इनकार कर दिया था, इसलिए इस तरह के प्रश्न का निर्णय केवल वक्फ अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरण द्वारा ही किया जा सकता था। इसलिए, अपील अदालत वापस आ गई।

सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय, अर्थात् न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए शिकायत। निचली अदालत के आदेश को दरकिनार कर दिया गया। प्रतिवादी द्वारा दायर दूसरी अपील खारिज कर दी गई थी इसलिए अपील दायर की गई थी। इस न्यायालय ने धारा 7,83 और 85 की जांच करने के बाद यह निर्धारित किया कि जहां भी संपत्ति की प्रकृति के बारे में कोई विवाद है, अर्थात्, मुकदमा संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, यह न्यायाधिकरण है जिसके पास इसका निर्णय करने का विशेष अधिकार क्षेत्र है। पैराग्राफ 13 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

" 13. वर्तमान मुकदमा वर्ष 2000 में वक्फ अधिनियम, 1995 के लागू होने के बाद शुरू किया गया था। इसलिए, वर्तमान मामला वक्फ अधिनियम की धारा 7 (5) के अपवाद के दायरे में नहीं आता है। इस प्रकार, धारा 85 के साथ पठित धारा 7 के एक सादे पठन पर

अधिनियम के अनुसार, यह स्पष्ट हो जाता है कि जहां भी संपत्ति की प्रकृति के बारे में कोई विवाद है, अर्थात्, मुकदमा संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, यह न्यायाधिकरण का गठन है।

वक्फ अधिनियम के तहत, जिसके पास यह निर्णय लेने का विशेष अधिकार क्षेत्र है। हमें अब इस मुद्दे पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता नहीं है, जितना कि इस न्यायालय की इसी पीठ द्वारा हाल ही में दिए गए फैसले में।

भंवर लाल बनाम। राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड, (2014) 16 एस. सी. सी. 51 ने 9-9-2013 पर निर्णय लिया, इस न्यायालय ने इस विषय पर पहले के फैसलों, अर्थात् सरदार खान बनाम, पर ध्यान देने के बाद यही विचार रखा। सैयद नजमुल हसन (2007) 10 एस. सी. सी. 727, रमेश

गोबिंदराम बनाम। सुग्रा हुमायूं मिर्जा वक्फ, (2010) 8 एस. सी. सी. 726। अक्कोड जुमायत पल्ली परिपालन समिति v में इस विचार की पुष्टि की गई है। पी. वी. इब्राहिम हाजी (2014) 16 एस. सी. सी. 65 "।

उच्च न्यायालय के विचार को बरकरार रखते हुए मंजूरी दी गई

वक्फ न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र। 40. अक्कोड जुमायत पल्ली परिपालन समिति बनाम। पी. वी. इब्राहिम हाजी और अन्य, (2014) 16 एस. सी. सी. 65, इस न्यायालय को वक्फ अधिनियम की धारा 83 और 84 पर फिर से विचार करने का अवसर मिला। उपरोक्त मामले में जो प्रश्न उठा वह यह है कि क्या वक्फ न्यायाधिकरण को प्रतिवादियों को उसके द्वारा संचालित मस्जिद और मदरसे के प्रशासन, प्रबंधन और शांतिपूर्ण आनंद में हस्तक्षेप करने से रोकने वाले निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र मिला है और पंजाब वक्फ बोर्ड v.

शाम सिंह हरिक [अशोक भूषण, जे।]

मस्जिद तक। अपीलार्थी ने पूर्व में निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया था मुन्सिफ का दरबार। इसे वक्फ ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित कर दिया गया था। मुकदमा तय किया गया था। वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में सिविल संशोधन दायर किया गया था। उच्च न्यायालय ने वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले और डिक्री को दरकिनार करते हुए कहा कि रमेश गोबिंदराम (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष निषेधाज्ञा का मुकदमा कायम नहीं रखा जा सकता है। फैसले के पैराग्राफ 3 में निम्नलिखित ध्यान दिया गया थाः

" 3. इसमें प्रतिवादियों ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष वक्फ अधिनियम की धारा 83 (9) के तहत 2004 की सी. आर. पी. संख्या 1362 के रूप में एक नागरिक संशोधन याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने अपने 10 <आई. डी. 1 दिनांकित निर्णय के माध्यम से वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि रमेश गोबिंदराम बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष निषेधाज्ञा का मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं है। सुग्रा हुमायूं मिर्जा वक्फ। अदालत ने अपीलार्थी को उपयुक्त अदालत के समक्ष पेश करने के लिए शिकायत वापस लेने की अनुमति भी दी। बाद में, अपीलार्थी ने एक समीक्षा याचिका को प्राथमिकता दी जिसे उच्च न्यायालय ने 4-2-2011 पर भी खारिज कर दिया था। आदेशों की वैधता में चुनौती है

यह अपील "।

41. इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया और माना कि यह मुकदमा विचारणीय है। दो-न्यायाधीशों की पीठ ने आगे कहा कि रमेश गोबिंदराम (उपरोक्त) मामले में फैसला बाद में आया।

वक्फ बोर्ड, पश्चिम बंगाल बनाम में इस न्यायालय के समक्ष विचार। अनीस फातमा बेगम (ऊपर) और रमेश गोबिंदराम के फैसले को अलग माना गया था। इस न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 5 और 6 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया थाः

" 5. रमेश गोबिंदराम मामले में उपर्युक्त निर्णय में निर्धारित अनुपात बाद में डब्ल्यू. बी. वक्फ बोर्ड बनाम में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया। अनीस फातमा बेगम, (2010) 14 एस. सी. सी. 588 और रमेश गोबिंदराम मामले में फैसला था

विशिष्ट माना जाता है। वह एक ऐसा मामला था जिसमें वक्फ एस्टेट से संबंधित विवाद जो वक्फ के एक पंजीकृत विलेख दिनांक 22-9-1936 द्वारा बनाया गया था। यह सवाल वक्फ संपत्ति के सीमांकन के संबंध में उठाया गया था, जिसे इस अदालत ने एक ऐसा मामला माना जो वक्फ अधिनियम के दायरे में आता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले, जिसमें अन्यथा अभिनिर्धारित किया गया था, को दरकिनार कर दिया गया था और इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वक्फ न्यायाधिकरण के पास निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है

उन विवादों को।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. हमारा विचार है कि इस मामले में विचार के लिए उत्पन्न होने वाला विवाद प्रबंधन और शांतिपूर्ण संबंध में है। मस्जिद और मदरसे का आनंद और संबंधित परिसंपत्तियाँ

वक्फ के लिए। राहत की प्रकृति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि वक्फ न्यायाधिकरण को उन विवादों को तय करने का अधिकार क्षेत्र मिला है। इसलिए, हम अपीलार्थी द्वारा दायर 2003 के ओएस संख्या 53 का मनोरंजन करने वाले वक्फ ट्रिब्यूनल में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं और उच्च न्यायालय ने अन्यथा ठहराने में त्रुटि की है। नतीजतन, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और गुण-दोष के आधार पर संशोधन पर विचार करने के लिए मामला उच्च न्यायालय को भेज दिया जाता है। याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।

ऊपर के रूप में, लागत के रूप में कोई आदेश के साथ।

42. दो-उपरोक्त मामले में इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ ने मुकदमे को वक्फ ट्रिब्यूनल में बनाए रखने योग्य माना और कहा कि रमेश का अनुपात

गोबिंदराम को अनीस फातिमा मामले में प्रतिष्ठित किया गया है। लेकिन रमेश गोबिंदराम के अनुपात के अनुसार जब तक वक्फ अधिनियम, 1995 में उक्त विवाद पर विचार करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, तब तक वक्फ न्यायाधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र है, उपरोक्त मामले में निषेधाज्ञा के लिए दायर किया गया मुकदमा कायम नहीं था। इस प्रकार, दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा उपरोक्त निर्णय में जो कहा गया है, वह रमेश गोबिंदराम के अनुपात के अनुरूप नहीं है। केवल एक और।

इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर ध्यान दिया जाए, जहां मुकदमा दायर किया गया है।

पंजाब वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर याचिका अपने लाभ और अधिकार को बनाए रखने योग्य माना जाता था, अर्थात, पंजाब वक्फ बोर्ड बनाम प्रितपाल सिंह और अन्र में निर्णय। (सिविल अपील

2013 का No.8194) 13.09.2013 पर तय किया गया। मामले के तथ्यों को निम्नलिखित तरीके से देखा गया हैः

" याचिकाकर्ता ने वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष एक मुकदमा दायर किया,

लुधियाना, अन्य बातों के साथ-साथ कब्जे के साथ-साथ अच्छे मुनाफे के लिए भी प्रार्थना कर रहा है। वक्फ ट्रिब्यूनल ने अपने दिनांक 08.05.2009 के आदेश से मुकदमे का फैसला सुनाया।

अधिकार के लिए और अपने लाभ की वसूली के लिए भी।

उसी से व्यथित होकर, प्रत्यर्थियों ने उक्त आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। आक्षेप द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने वक्फ न्यायाधिकरण के आदेश को उसके इस निष्कर्ष पर खारिज कर

दिया था कि वक्फ न्यायाधिकरण के पास निष्कासन के लिए मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह इस आदेश के खिलाफ है कि याचिकाकर्ता ने इस विशेष को प्राथमिकता दी है

याचिका छोड़ दें "।

43. दलीलों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने कहाः पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की थी कि मुकदमा पंजाब वक्फ बोर्ड बनाम।

शाम सिंह हरिक [अशोक भूषण, जे।]

यह निष्कासन के लिए था और इसलिए वक्फ न्यायाधिकरण के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर किया गया मुकदमा कब्जे और अपने लाभ के लिए था और,

इसलिए, उच्च न्यायालय ने आदेश को रद्द करने में गलती की थी

वक्फ ट्रिब्यूनल "।

44. धारा 83 उप-धारा (1) को 2013 के अधिनियम 27 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। प्रतिस्थापित उप-धारा (1) इस प्रकार हैः

" धारा 83 (1)। - राज्य सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के निर्धारण, किसी किरायेदार या किरायेदार को बेदखल करने के लिए जितने उचित समझे उतने न्यायाधिकरणों का गठन करेगी।

इस अधिनियम के तहत ऐसी संपत्ति के पट्टेदार और पट्टेदार के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण और स्थानीय सीमाओं को परिभाषित करना और

ऐसे न्यायाधिकरणों की अधिकारिता।

45. धारा 83 की उप-धारा (1) में विशेष रूप से किसी किरायेदार को बेदखल करना या पट्टेदार और पट्टेदार के अधिकारों या दायित्वों का निर्धारण शामिल है।

ऐसी संपत्ति।

46. इन अपीलों को जन्म देने वाले दोनों मुकदमों में मुक़दमे 2013 के अधिनियम 27 द्वारा धारा 83 के संशोधन से बहुत पहले दायर किए गए थे। इस प्रकार, हमें वर्तमान मामले में धारा 83 की व्याख्या करनी होगी क्योंकि यह उपरोक्त संशोधन, 2013 से पहले मौजूद थी।

47. धारा 83 की उप-धारा (1) में राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उतने ही न्यायाधिकरणों का गठन करेगी जितने वे करेंगे।

उचित लग सकता है। उपरोक्त वाक्य के बाद के शब्द "इस अधिनियम के तहत वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के निर्धारण के लिए हैं।" इस प्रकार, न्यायाधिकरण का गठन अधिनियम, 1995 के तहत वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के निर्धारण के लिए है। "विवाद, प्रश्न या वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित अन्य मामला", इस प्रकार, अधिनियम, 1995 के तहत उत्पन्न होना चाहिए। अधिनियम, 1995 के विभिन्न प्रावधान न्यायाधिकरण और उन प्रश्नों को संदर्भित करते हैं जिनका निर्णय न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना है। इस संदर्भ में धारा 6 की उप-धारा (1) उन प्रश्नों को संदर्भित करती है जिनका निर्णय न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना है। धारा 6 की उप-धारा (1) इस प्रकार हैः धारा 6 (1)। - यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या वक्फ की सूची में वक्फ संपत्ति के रूप में निर्दिष्ट कोई विशेष संपत्ति वक्फ है।

संपत्ति हो या न हो या ऐसी सूची में निर्दिष्ट वक्फ शिया वक्फ या सुन्नी वक्फ हो, वक्फ का बोर्ड या मुतवल्ली या उसमें रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति [2019] 2 एस. सी. आर. के लिए न्यायाधिकरण में मुकदमा दायर कर सकता है।

प्रश्न का निर्णय और न्यायाधिकरण का निर्णय

ऐसे मामले का सम्मान अंतिम होगाः

बशर्ते कि प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद न्यायाधिकरण द्वारा ऐसा कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

वक्फों की सूची "।

48. इसी तरह, धारा 7 की उप-धारा (1) भी न्यायाधिकरण द्वारा प्रश्न के निर्णय को संदर्भित करती है। धारा 7 की उप-धारा (1) नीचे उद्धृत की गई हैः

" धारा 7 (1)। - यदि इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि वक्फ की सूची में वक्फ संपत्ति के रूप में निर्दिष्ट कोई विशेष संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं या ऐसी सूची में निर्दिष्ट वक्फ शिया वक्फ या सुन्नी वक्फ है या नहीं, तो वक्फ बोर्ड या मुतवल्ली या उसमें रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस संबंध में अधिकार क्षेत्र वाले न्यायाधिकरण में आवेदन कर सकता है।

ऐसी संपत्ति के लिए, प्रश्न के निर्णय और निर्णय के लिए

उस पर न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगाः

49. धारा 33 धारा 33 के तहत पारित आदेशों के खिलाफ न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने पर विचार करती है। धारा 33 की उप-धारा (4) इस प्रकार हैः

" धारा 33 (4) एक मुतवल्ली या अन्य व्यक्ति जो इस प्रकार से व्यथित है। आदेश, उसके द्वारा आदेश की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर, न्यायाधिकरण में अपील कर सकता हैः

बशर्ते कि ऐसी कोई भी अपील न्यायाधिकरण द्वारा तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलार्थी पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास जमा नहीं करता है। वह राशि जो उप-धारा (3) के तहत अपीलार्थी द्वारा देय होने के रूप में निर्धारित की गई है और न्यायाधिकरण को उप-धारा (3) के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के प्रवर्तन के लिए अपील के निपटारे तक कोई आदेश देने की कोई शक्ति नहीं होगी। ”

50. न्यायाधिकरण में अपील का ऐसा ही प्रावधान धारा 51 की उप-धारा (5) के तहत भी निहित है। धारा 52 उप-धारा (4) फिर से न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने का प्रावधान है। धारा 54 हटाने से संबंधित है

वक्फ संपत्ति का अतिक्रमण। धारा 54 (4) के तहत कोई भी व्यक्ति

अतिक्रमण हटाने और भूमि, भवन, स्थान या अन्य संपत्ति पर कब्जा करने का निर्देश देने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए न्यायाधिकरण में मुकदमा दायर कर सकता है। अधिकार, शीर्षक या ब्याज। धारा 54 (4) इस प्रकार हैः

पंजाब वक्फ बोर्ड बनाम। शाम सिंह हरिक [अशोक भूषण, जे।]

" धारा 54 (4) उप-धारा (3) में निहित कुछ भी मुख्य कार्यपालक द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित किसी भी व्यक्ति को नहीं रोकेगा।

उस उप-धारा के तहत अधिकारी को यह स्थापित करने के लिए कि उसका भूमि, भवन में अधिकार, स्वामित्व या हित है, किसी न्यायाधिकरण में मुकदमा दायर करने से,

स्थान या अन्य संपत्तिः

बशर्ते कि ऐसा कोई मुकदमा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर नहीं किया जाएगा जिसे वक्फ के मुतवल्ली द्वारा या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भूमि, भवन, स्थान या अन्य संपत्ति पर पट्टेदार, लाइसेंस या बंधक के रूप में कब्जा करने दिया गया हो।

51. धारा 54 (4) हटाने के आदेश से व्यथित मुतवल्ली द्वारा न्यायाधिकरण में अपील करने पर विचार करती है। की उप-धारा (6)

धारा 83 के प्रावधान न्यायाधिकरण के आदेश को संशोधित करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील के प्रतिबंध सहित प्रक्रिया से संबंधित हैं। 52. धारा 83 पर आते हुए, जो सिविल न्यायालय की अधिकारिता पर रोक से संबंधित है, प्रासंगिक शब्द "कोई भी विवाद, प्रश्न या वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित अन्य मामला" हैं जो इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार, सिविल न्यायालय की अधिकारिता की बाधा केवल उन मामलों तक ही सीमित है जिनकी आवश्यकता है -

इस अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित। इस प्रकार, सिविल न्यायालय के पास उन मुकदमों और कार्यवाहियों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा जो अधिनियम, 1995 द्वारा या उसके तहत निर्धारित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, अधिकारिता के प्रश्न का उत्तर देते हुए, यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि क्या इस मामले में उठाया गया है

न्यायाधिकरण द्वारा अधिनियम, 1995 के तहत किसी भी प्रावधान के तहत मुकदमा या कार्यवाही पर निर्णय लेना आवश्यक है या नहीं। यदि उत्तर सकारात्मक है, तो सिविल न्यायालय की अधिकारिता का बार काम करेगा।

53. रमेश गोबिंदराम (उपर्युक्त) के निर्णय में इस न्यायालय ने धारा 83 और 85 पर विचार करने के बाद जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, समझाया है -

प्रावधान। अब हमें दोनों अपीलों में हमारे सामने तथ्यों में ऊपर उल्लिखित कानून के प्रस्ताव को लागू करना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

54. 2019 की सिविल अपील में (पंजाब वक्फ बोर्ड बनाम शाम सिंह हरिके) बोर्ड द्वारा दीवानी मामले में निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा शुरू किया गया था।

प्रतिवादी के खिलाफ अदालत। शाम सिंह हरिके द्वारा दायर लिखित बयान में यह दलील दी गई थी कि मुकदमे की संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं है। लिखित कथन के पैराग्राफ 2 में निम्नलिखित कहा गया थाः

" 2. अभियोग का पैरा 2 गलत है और अस्वीकार किया गया है। यह गलत है कि 269 के-7 एम माप वाली भूमि वक्फ संपत्ति है। उत्परिवर्तन किसी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करता है। उत्परिवर्तन को चुनौती दी जा रही है जैसा कि प्रारंभिक आपत्तियों में बताया गया है। वादी ने जानबूझकर उक्त तथ्य को छुपाया है। वादी ने इस तथ्य का भी खुलासा नहीं किया है कि जिस अधिसूचना के आधार पर कथित उत्परिवर्तन को मंजूरी दी गई है, वह कोई अधिकार, शीर्षक या ब्याज प्रदान नहीं करती है। संपत्ति का हस्तांतरण केवल पंजीकरण अधिनियम के प्रावधान के तहत विधिवत पंजीकृत साधन द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार, वादी को वाद संपत्ति में कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं है और न ही वह उक्त संपत्ति के लिए वर्तमान मुकदमा दायर करने में सक्षम है।

55. मुकदमे को वक्फ ट्रिब्यूनल को स्थानांतरित कर दिया गया था और इसे आरबीटी No.84/2006 के रूप में बदल दिया गया था। एक आवेदन दायर किया गया था

वादी को इस आधार पर अस्वीकार करने के लिए प्रतिवादी कि न्यायाधिकरण के पास मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। न्यायाधिकरण ने आवेदन को खारिज कर दिया। आवेदन को अस्वीकार करने के आदेश के खिलाफ, प्रतिवादी द्वारा उच्च न्यायालय में दीवानी पुनरीक्षण दायर किया गया था। उच्च न्यायालय ने रमेश गोबिंदराम में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए अनुमति देने के लिए निम्नलिखित कारण दिए हैं। पुनरीक्षणः

" सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त आधिकारिक घोषणा को ध्यान में रखते हुए, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी संपत्ति में वक्फ के लिए किसी गैर-मुसलमान के अधिकार, अधिकार और हित को खतरे में नहीं डाला जा सकता है क्योंकि वह संपत्ति वक्फ की सूची में शामिल है।

विवादित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

इस प्रकार, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी जाती है और विवादित आदेश को यह कहते हुए दरकिनार कर दिया जाता है कि चूंकि याचिकाकर्ता एक गैर-मुस्लिम है, इसलिए वक्फ न्यायाधिकरण को इस मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और यह केवल दीवानी न्यायालय है जिसका वर्तमान विवाद में अधिकार क्षेत्र था।

56. उच्च न्यायालय ने रमेश गोबिंदराम के फैसले के उस हिस्से पर ध्यान दिया था जिसमें इस न्यायालय ने पहले के फैसले पर ध्यान दिया था

मुस्लिम वक्फ बोर्ड, राजस्थान बनाम में इस न्यायालय का। राधा किशन और अन्य, (1979) 2 एससीसी 468। रमेश गोबिंदराम के फैसले के पैराग्राफ 20 और 21 पर भरोसा किया गया है जो निम्नलिखित हैं।

प्रभावः

पंजाब वक्फ बोर्ड बनाम। शाम सिंह हरिक [अशोक भूषण, जे।]

" 20. धारा 6 और 7 (उपर्युक्त) के प्रावधानों के संयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट है कि यह निर्धारित करने की अधिकारिता है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं या कोई वक्फ शिया है या नहीं। वक्फ या सुन्नी वक्फ पूरी तरह से न्यायाधिकरण के पास होता है और दीवानी मामले में कोई मुकदमा या अन्य कार्यवाही शुरू या शुरू नहीं की जा सकती है।

अधिनियम के प्रारंभ के बाद ऐसे किसी भी प्रश्न के संबंध में न्यायालय। उल्लेखनीय बात यह है कि धारा 7 (उपर्युक्त) के साथ पठित धारा 6 के तहत दीवानी अदालत को केवल उन प्रश्नों के संबंध में प्रतिबंधित किया गया है जो विशेष रूप से उसमें गिने गए हैं। प्रतिबंध पूर्ण नहीं है ताकि वक्फ संपत्ति के संबंध में उत्पन्न होने वाले अन्य प्रश्नों का विस्तार किया जा सके।

21. हम इस स्तर पर उपयोगी रूप से मूल मुद्दे से केवल इस तथ्य को उजागर करने के लिए भटक सकते हैं कि धारा 6 (1) और उसका परंतुक कुछ अवसरों पर इस न्यायालय की व्याख्या के लिए गिर गया है।

मुस्लिम वक्फ बोर्ड बनाम। राधा किशन, (1979) 2 एस. सी. सी. 468, उन प्रश्नों में से एक था जो निर्धारण के लिए पड़े थे, वे पक्ष कौन हैं जिन्हें अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत कार्यवाही में संबंधित माना जा सकता है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 6 (1) के तहत वक्फ का बोर्ड या मुतवल्ली या उसमें रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति मुकदमा दायर करने का हकदार है लेकिन शब्द

" "इसमें" "किसी भी इच्छुक व्यक्ति" "को अनिवार्य रूप से" "वक्फ" "शब्द का उल्लेख करना चाहिए जो इसके तुरंत पहले आता है।" इस न्यायालय ने कहा कि परंतुक का अंतर्निहित उद्देश्य मुतवल्ली और व्यक्तियों को मुकदमा दायर करने की शक्ति को सीमित करना था

वक्फ में रुचि रखते हैं। यह उन व्यक्तियों तक विस्तारित नहीं था जो वक्फ में रुचि रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं। नतीजतन, अधिकार, शीर्षक और किसी संपत्ति में वक्फ के लिए किसी अजनबी (गैर-मुसलमान) के हित को केवल इसलिए खतरे में नहीं डाला जा सकता है क्योंकि वह संपत्ति वक्फ की सूची में शामिल है। धारा 6 (1) के परंतुक द्वारा निर्धारित सीमा का विशेष नियम स्वयं उसके लिए लागू नहीं था और वक्फ की सूची में शामिल किसी भी संपत्ति के स्वामित्व की घोषणा के लिए एक मुकदमा था जो अवधि की समाप्ति के बाद भी बनाए रखने योग्य था।

एक साल "।

57. रमेश गोबिंदराम के मामले में इस न्यायालय ने मुस्लिम वक्फ बोर्ड, राजस्थान बनाम में पहले के आदेश का उल्लेख किया है। राधा किशन अन्य, (1979) 2 एस. सी. सी. 468। मुस्लिम बोर्ड के मामले मेंइस न्यायालय को वक्फ अधिनियम, 1954 की उप-धारा (1) की धारा 6 की उप-धारा (1) की व्याख्या करने का अवसर मिला था। वे प्रश्न जो [2019] 2 एस. सी. आर.

उपरोक्त मामले में विचार के लिए पैराग्राफ 22 में विचार किया गया है जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" 22. अपील पर निर्णय के लिए आने वाले प्रश्न

ये दो हैंः पहला, क्या वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत नियुक्त वक्फ आयुक्त के पास धारा 4 की उप-धारा (3) के तहत यह जांच करने का अधिकार क्षेत्र है कि क्या कोई निश्चित संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, जब ऐसा विवाद वक्फ के लिए किसी अजनबी द्वारा उठाया जाता है और दूसरा, यदि ऐसा है, तो क्या ऐसे व्यक्ति का वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत नियुक्त वक्फ आयुक्त के खिलाफ दीवानी अदालत में मुकदमा दायर करने में विफलता।

धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसे प्रश्न के निर्णय के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार,

अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के तहत बोर्ड द्वारा प्रकाशित वक्फ की सूची में ऐसी संपत्ति को शामिल करना अंतिम है।

और धारा 6 की उप-धारा (4) के तहत निर्णायक।

58. उपरोक्त मामले में प्रत्यर्थी संपत्ति के बंधक थे जिसे 1954 के अधिनियम की धारा 5 के तहत वक्फ की सूची में शामिल करने के लिए प्रकाशित किया गया था। रिट याचिका प्रत्यर्थियों द्वारा दायर की गई थी जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई कार्यवाही की वैधता और वैधता को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहाँ एक व्यक्ति

स्वामित्व का दावा करना वक्फ के लिए एक अजनबी है, अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के तहत बोर्ड द्वारा वक्फ की सूची में ऐसी संपत्ति को शामिल करना अंतिम और निर्णायक नहीं होगा। इस न्यायालय ने उन प्रत्यर्थियों के तर्क पर ध्यान दिया जिन्होंने तर्क दिया कि वे गैर-मुसलमान होने के नाते धारा 6 की उप-धारा (1) के दायरे से बाहर हैं और उन्हें उस उप-धारा द्वारा विचारित मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए धारा 5 की उप-धारा (2) के तहत प्रकाशित वक्फ की सूची उनके खिलाफ धारा 6 की उप-धारा (4) के तहत अंतिम और निर्णायक नहीं हो सकती है। प्रत्यर्थियों द्वारा उठाए गए तर्क को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और पैराग्राफ 33 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया थाः

" 33. इन प्रश्नों के उत्तर को उप-धारा (1) में दिखाई देने वाली "उसमें रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति" अभिव्यक्ति में "उसमें" शब्द के सही अर्थ और निर्माण को चालू करना चाहिए।

धारा 6. हमारे विचार में "उसमें" शब्द के अर्थ को समझने के लिए, पूर्ववर्ती शब्दों 'बोर्ड या वक्फ के मुतवल्ली' का उल्लेख करना आवश्यक है। 'उसमें' शब्द को अनिवार्य रूप से "वक्फ" को संदर्भित करना चाहिए जो उससे तुरंत पहले आता है। यह "वक्फ संपत्ति" को संदर्भित नहीं कर सकता है। धारा 6 पंजाब वक्फ बोर्ड की उप-धारा (1) v.

शाम सिंह हरिक [अशोक भूषण, जे।]

उन व्यक्तियों की गणना करता है जो मुकदमे दायर कर सकते हैं और उन प्रश्नों को भी जिनके संबंध में ऐसे मुकदमे दायर किए जा सकते हैं। जिन व्यक्तियों को इस प्रावधान के तहत मुकदमा दायर करने का अधिकार है, उनकी गणना करने में केवल बोर्ड, वक्फ का मुतवल्ली और "उसमें रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति" शामिल है, जिससे आवश्यक रूप से इसमें रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है। वक्फ, सूचीबद्ध हैं। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह अधिनियम वक्फ, इसकी संस्थाओं और इसकी संपत्तियों से संबंधित है। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत और उचित होगा कि इसके प्रावधान सशक्त बनाते हैं।

केवल वे जो वक्फों में रुचि रखते हैं, सूट स्थापित करने के लिए।

59. इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि धारा 6 के उपखंड (1) में प्रयुक्त 'उसमें' शब्द को अनिवार्य रूप से 'वक्फ' को संदर्भित करना चाहिए। एनजी के बाद पैराग्राफ 39 और 42 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

" 39. यह इस प्रकार है कि जहां एक अजनबी जो एक गैर-मुसलमान है और एक निश्चित संपत्ति के कब्जे में है, उसका अधिकार, शीर्षक और उसमें ब्याज है।

इसे केवल इसलिए खतरे में नहीं डाला जा सकता है क्योंकि संपत्ति सूची में शामिल है। ऐसे व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के भीतर अपने अधिकार की घोषणा के लिए मुकदमा दायर करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 6 की उप-धारा (1) के परंतुक में निर्धारित सीमा का विशेष नियम उस पर लागू नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, वक्फ बोर्ड द्वारा धारा 5 की उप-धारा (2) के तहत प्रकाशित सूची इस प्रकार हो सकती हैः

एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी स्वामित्व की घोषणा के लिए मुकदमा दायर करके उसके द्वारा चुनौती दी गई, यदि ऐसा दायर करने की आवश्यकता है

सूट आता है।

42. हमें तदनुसार यह मानना चाहिए कि वक्फ आयुक्त ने विवादित संपत्ति को अधिकार क्षेत्र में रखने के लिए कार्य किया

वक्फ संपत्ति। इसलिए, यह पालन करना चाहिए कि मुस्लिम बोर्ड

वक्फ, राजस्थान को अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के तहत प्रकाशित वक्फ की सूची में संपत्ति को शामिल करने के लिए उचित ठहराया गया था। धारा 6 की उप-धारा (1) के निर्माण पर हमें यह भी मानना चाहिए कि बोर्ड द्वारा इस प्रकार प्रकाशित वक्फों की सूची अंतिम नहीं थी।

और धारा 6 की उप-धारा (4) के तहत उत्तरदाताओं 1 और 2 के खिलाफ एक के भीतर मुकदमा लाने में विफलता के कारण निर्णायक

धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अनुध्यात वर्ष।

60. अधिनियम, 1995 की धारा 6 की उपरोक्त उप-धारा (1) में

राष्ट्र को जोड़ा गया है जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" स्पष्टीकरण। - इस धारा और धारा 7 के प्रयोजनों के लिए "उसमें रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति" वाकफ [2019] 2 एस. सी. आर. की सूची में वक्फ संपत्ति के रूप में निर्दिष्ट किसी भी संपत्ति के संबंध में होगा।

धारा 6 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति जो इसमें रुचि रखता है, हालांकि वह रुचि नहीं रखता है। संबंधित वक्फ में, ऐसी संपत्ति में रुचि रखता है। धारा 6 उप-धारा (1) के उपरोक्त संशोधन ने

धारा 6 की उप-धारा (1) के मुस्लिम वक्फ बोर्ड (ऊपर) में इस न्यायालय की व्याख्या लागू नहीं होती है। इस प्रकार, यह व्याख्या कि 'उसमें' शब्द केवल वक्फ को संदर्भित करता है, जानबूझकर छोड़ दिया गया है और इसमें रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो

वक्फ के साथ-साथ वक्फ संपत्ति दोनों में रुचि रखते हैं।

61. उपरोक्त संदर्भ में पंजाब वक्फ बोर्ड बनाम में एक अन्य फैसले की अदालत को नोटिस देना प्रासंगिक है। ग्राम पंचायत, (2000) (2) 121, जिस मामले में 1984 के केंद्रीय अधिनियम 69 द्वारा वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा में डाला गया स्पष्टीकरण रद्द कर दिया गया। 1984 तक धारा 6 (1) में जो स्पष्टीकरण जोड़ा गया था, वह लगभग वही वैधानिक योजना लेकर आया है जोअधिनियम, 1995 की धारा 6 (1) के स्पष्टीकरण द्वारा लाया गया। स्पष्टीकरण पर

1984 के संशोधन द्वारा, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्धारित कियाः

" 24. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने धारा 6 की उप-धारा (1) में नीचे जोड़े गए स्पष्टीकरण का भी उल्लेख किया।

1984 के केंद्रीय अधिनियम 69 द्वारा वक्फ अधिनियम, 1954। व्याख्या इस प्रकार हैः

" स्पष्टीकरण। इस धारा और धारा 6-ए के प्रयोजन के लिए, इस धारा की उप-धारा (1) और धारा 6-ए की उप-धारा (1) में आने वाली 'उसमें रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति' अभिव्यक्ति, वक्फ संपत्ति के रूप में निर्दिष्ट किसी भी संपत्ति के संबंध में होगी।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1984 के प्रारंभ के बाद, धारा 5 की उप-धारा (2) के तहत प्रकाशित वक्फ की सूची में, प्रत्येक व्यक्ति को भी शामिल किया जाएगा, जो संबंधित वक्फ में रुचि नहीं रखता है, लेकिन ऐसी संपत्ति में रुचि रखता है और जिसे धारा 4 के तहत प्रासंगिक जांच के दौरान उस ओर से दिए गए नोटिस द्वारा अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर दिया गया था। पंजाब वक्फ बोर्ड बनाम।

शाम सिंह हरिक [अशोक भूषण, जे।]

25. जाहिर है, संसद का इरादा यह कहना था कि यदि एक वर्ष के भीतर कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाता है, तो अधिसूचना न केवल ट्रस्ट में रुचि रखने वालों पर बल्कि उन अजनबियों पर भी बाध्यकारी होगी, जो विचाराधीन संपत्ति में रुचि का दावा करते हैं, बशर्ते उन्हें अधिसूचना से पहले की धारा 4 के तहत जांच में नोटिस दिया गया हो।

धारा 5 (2)।

26. इस संबंध में हमें यह बताना होगा कि सरकार

भारत सरकार ने इसकी शुरुआत के लिए कोई तारीख जारी नहीं की है।

ऊपर उद्धृत वक्फ अधिनियम की धारा 6 में स्पष्टीकरण। भले ही यह माना जाए कि स्पष्टीकरण का आह्वान किया जा सकता है, हमारे सामने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अधिसूचना जारी होने से पहले ग्राम पंचायत को कोई नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि

स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। यदि अधिसूचना द्वारा आवश्यक रूप से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, तो अधिसूचना वक्फ और किसी तीसरे पक्ष के बीच उठाए गए प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए दीवानी अदालत के रास्ते में नहीं आएगी, भले ही ऐसा मुकदमा एक वर्ष से अधिक समय में दायर किया गया हो। अधिसूचना की तारीख से।
इस प्रकार, एक बार सहायक कलेक्टर और कलेक्टर के पास निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होने के बाद, उनका निर्णय अंतिम हो गया और पंजाब अधिनियम की धारा 13 ने उनके द्वारा दायर दीवानी मुकदमे को प्रतिबंधित कर दिया।

वक्फ बोर्ड "।

62. पंजाब वक्फ बोर्ड बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। ग्राम पंचायत ने स्पष्टीकरण की व्याख्या करते हुए कहा कि अधिसूचना

धारा 5 के तहत जारी किया जाना न केवल वक्फ में रुचि रखने वालों के लिए बल्कि उन अजनबियों के लिए भी बाध्यकारी होगा, जो विचाराधीन संपत्ति में रुचि का दावा करते हैं, बशर्ते उन्हें धारा 5 (2) के तहत अधिसूचना से पहले धारा 4 के तहत जांच में नोटिस दिया गया हो। इस न्यायालय द्वारा पंजाब वक्फ बोर्ड बनाम ग्राम पंचायत में संशोधन अधिनियम, 1984 द्वारा जोड़े गए स्पष्टीकरण के लिए की गई व्याख्या को अधिनियम, 1995 की धारा 6 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण के लिए समान रूप से लागू किया जा सकता है। अधिनियम, 1995 की धारा 6 (1) के स्पष्टीकरण की व्याख्या के लिए उपरोक्त अनुपात को लागू करने के लिए निम्नलिखित दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं:

(क) वक्फ संपत्ति में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति जो

धारा 5 के तहत प्रकाशित वक्फ की सूची में वक्फ संपत्ति के रूप में निर्दिष्ट वक्फ संपत्ति के संबंध में विवाद भी उठा सकता है।

एक न्यायाधिकरण में एक मुकदमा स्थापित करके। वक्फ संपत्ति में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा इस तरह का मुकदमा दायर करने की सीमा धारा 6 (1) के प्रावधान के अनुसार एक वर्ष है।

(ख) धारा 5 (2) के तहत प्रकाशित वक्फ की सूची में शामिल की जाने वाली वक्फ संपत्ति की अंतिमता उस व्यक्ति पर नहीं होगी जिसे पाठ्यक्रम के दौरान दिए गए नोटिस द्वारा अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर नहीं दिया गया था।

धारा 4 के तहत प्रासंगिक जांच।

63. हम उप-धारा (5) की धारा 6 के प्रावधान पर भी ध्यान दे सकते हैं जो पंजाब वक्फ बोर्ड द्वारा इसके खिलाफ मुकदमा दायर किए जाने के समय मौजूद था।

शाम सिंह हरिके। धारा 6 उप-धारा (5) निम्नलिखित रूप में प्रदान की गई हैः

" 6 (5) किसी राज्य में इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर और उसके बाद से, उप-अधिनियम में निर्दिष्ट किसी भी प्रश्न के संबंध में उस राज्य के न्यायालय में कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू या शुरू नहीं की जाएगी।

खंड (1)।

वक्फ। धारा 6 की उप-धारा (5) में एक को प्रतिबंधित करने वाला प्रावधान था उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रश्न के संबंध में अधिनियम के प्रारंभ के बाद किसी न्यायालय में वाद। सूट No.250 दिनांक 10.09.2001 (आरबीटी No.84 दिनांक 09.10.2006, पंजाब वक्फ बोर्ड बनाम शाम सिंह) में यह सवाल उठा है कि सूट संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। हमने उपरोक्त मुकदमे में प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान में दलीलों पर ध्यान दिया है, जिसमें विशेष रूप से इस बात से इनकार किया गया था कि मुकदमे की संपत्ति वक्फ संपत्ति है। इस प्रकार, धारा 6 की उप-धारा (1) के अर्थ के भीतर यह प्रश्न किया जाता है कि क्या कोई वाद संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं।

उभरा। इस प्रकार, जिस वाद में उपरोक्त प्रश्न उत्पन्न हुआ है, उस पर न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया जाना चाहिए और उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा अपने दिनांक 1 के आदेश द्वारा दायर संशोधन की अनुमति देने में स्पष्ट रूप से गलती की है।

65. इस प्रकार, उच्च न्यायालय का विचार है कि किसी संपत्ति में वक्फ के लिए गैर-मुसलमान के अधिकार, अधिकार और हित को खतरे में नहीं डाला जा सकता है। अधिनियम की धारा 6 में निहित वैधानिक योजना के विपरीत,

1995. इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण याचिका को अनुमति देने का कारण पूरी तरह से निराधार है। प्रतिवादी ने लिखित बयान में दलील दी है कि मुकदमे की संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं है। जब वाद में मुद्दा यह होता है कि सूट संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, तो यह वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 6 और 7 के विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत आती है, इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा धारा 83 के तहत निर्णय लिया जाना आवश्यक है और धारा 85 पंजाब वक्फ बोर्ड v के तहत प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है।

शाम सिंह हरिक [अशोक भूषण, जे।]

दीवानी न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में अस्तित्व में आएगा। इस संदर्भ में, हरियाणा वक्फ बोर्ड बनाम महेश कुमार, (2014) 16 एस. सी. सी. 45 के निर्णय में, इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि यह प्रश्न कि क्या वाद संपत्ति वक्फ संपत्ति है, एक ऐसा प्रश्न है जिसका निर्णय न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना है। उपरोक्त मामले में शिकायत वापस कर दी गई थी।

न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आदेश VII नियम 10 के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा, जिसे इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था। फैसले के पैराग्राफ 6 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया थाः

" 6 ..... रखरखाव और अधिकार क्षेत्र के सवाल का फैसला करते हुए, जिसके संबंध में मुद्दे 2 और 4 तैयार किए गए थे, पहली अपीलीय अदालत ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा मुकदमे में दावा जो एक वक्फ बोर्ड है, इस आधार पर था कि मुकदमा संपत्ति वक्फ संपत्ति थी और क्योंकि प्रतिवादी ने इसे वक्फ होने से इनकार कर दिया था

संपत्ति, यह सवाल उठा था कि क्या सूट संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। विद्वानों की राय में ऐसा प्रश्न अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का निर्णय केवल वक्फ अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरण द्वारा किया जा सकता था। इसलिए, अपील अदालत ने याचिकाकर्ता को आदेश 7 नियम 10 सी. पी. सी. के तहत सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत, अर्थात् न्यायाधिकरण में प्रस्तुत करने के लिए वापस कर दिया। परिणाम यह हुआ कि निचली अदालत द्वारा आदेश पारित किया गया

अलग कर दिया गया और शिकायत वापस कर दी गई।

66. इस प्रकार, 2019 की सिविल अपील हरियाणा वक्फ बोर्ड बनाम महेश कुमार मामले में इस न्यायालय के फैसले में पूरी तरह से शामिल है।

प्रतिवादी ने दलील दी कि वाद संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं है,

इस प्रश्न का निर्णय न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करने में त्रुटि की है। इस प्रकार यह अपील

अनुमति देने योग्य है।

67. एक और सवाल पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या वक्फ की सूची के प्रकाशन के एक वर्ष की अवधि के भीतर धारा 6 की उप-धारा (1) या धारा 7 (1) के अर्थ के भीतर एक मुकदमा दायर किया जाना है।

धारा 5 के तहत।

68. धारा 6 (1) के परंतुक में निहित प्रावधान है कि एक वर्ष की समाप्ति के बाद न्यायाधिकरण द्वारा ऐसा कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

वक्फों की सूची के प्रकाशन की तारीख से उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगा जो संबंधित वक्फ में रुचि नहीं रखते हैं। ऐसी संपत्ति में रुचि रखने वाले और जिन्हें धारा 4 के तहत प्रासंगिक जांच के दौरान उस ओर से दिए गए नोटिस द्वारा अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर दिया गया था।

69. जब धारा 6 की उप-धारा (1) एक वर्ष की अवधि में वक्फ संपत्ति के संबंध में विवाद उठाने का प्रावधान करती है, तो यह प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होती है।

वह व्यक्ति जो सूची पर विवाद करना चाहता है, सिवाय उनके जिन्हें धारा 4 (1) के तहत नोटिस नहीं दिया गया है।

70. अब 2019 की सिविल अपील (पंजाब वक्फ बोर्ड बनाम तेजा सिंह) पर आते हुए, वक्फ बोर्ड द्वारा मुकदमे की संपत्ति के कब्जे और न्यायाधिकरण में निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया गया था। उपरोक्त सूट पूरी तरह से था यह रमेश गोबिंदराम (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात द्वारा कवर किया गया है। उच्च न्यायालय ने रमेश गोबिंदराम मामले पर भरोसा किया है

प्रतिवादी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी गई। हम उच्च न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं, जिसमें प्रतिवादी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को दस्तावेजों के साथ अभियोग को उपयुक्त अदालत यानी सिविल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वापस करने का निर्देश दिया गया था। हम उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश को बरकरार रखते हैं। परिणामस्वरूप, यह अपील खारिज किए जाने के योग्य है।

उच्च न्यायालय के दिनांकित 20.09.2010 के आदेश को दरकिनार कर दिया। 2019 की सिविल अपील (पंजाब वक्फ बोर्ड बनाम तेजा सिंह) खारिज कर दी गई है। पार्टियां करेंगी अपना खर्च खुद वहन करें।

देविका गुजराल

अपी

लों का निपटारा किया गया।